रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 74] प्रयागराज, शनिवार, 26 दिसम्बर, 2020 ई० (पौष 5,1942 शक संवत्) [संख्या 51

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1449–1480	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	963–1040	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	. .	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	. .	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	. .	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	331–334	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	793–846	975
स्टोर्स–पचैज विभाग का क्रोड़ पत्र	. .	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

24 नवम्बर, 2020 ई0

सं0 1570/81-1-2020-9/2011—मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित), उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक ई0शा0-335/10-1-14(3)(Vol-3), दिनांक 12 नवम्बर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रान्तीय वन सेवा के अधिकारी श्री बैजनाथ सिंह, सहायक वन संरक्षक अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 से सेवानिवृत्त माने जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी,
विशेष सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

03 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 R 564/38-1-2020-1 पदोन्नति/2016—उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री अजितेन्द्र नारायण, जिला विकास अधिकारी, मीरजापुर को उनसे कनिष्ठ श्री अवधेश कुमार बाजपेयी की प्रोन्नति की तिथि 22 अक्टूबर, 2020 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त, पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर नोशनल (प्राक्कल्पित) रूप से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री अजितेन्द्र नारायण अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

नियुक्ति

04 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 R 565/38-1-2020-3518/2019—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2017 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री रजत कुशवाहा पुत्र श्री जगमोहन सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद फिरोजाबाद में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, 10वां तल, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ में एक माह के अन्दर योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे एवं आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उनकी तैनाती के जनपद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4—सम्बन्धित अधिकारी तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होंगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेंगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 1810/23-4-2020-06 एन0जी0/2019—चयन वर्ष 2019-20 में अवर अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक) से सहायक अभियन्ता (सिविल) की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु नियमित चयन में चयन की पात्रता में श्री केदार सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक 4481) अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम सम्मिलित था। श्री केदार सिंह के विरुद्ध तत्समय कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या 3322 ईएफ0(ख)/सी-16 ई0एफ0-2429/17, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उनकी सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में लिफाफा बन्द/पद आरक्षित की संस्तुति की गयी थी। श्री केदार सिंह के विरुद्ध प्रचलित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1184 ईएफ(ख)/सी-16 ई0एफ0-2429/17, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 द्वारा बिना दण्ड के समाप्त की गयी।

2—श्री केदार सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध संस्थित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 2578 व्यघ/653 व्यघ/2019, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 द्वारा श्री केदार सिंह की पदोन्नति के सम्बन्ध में बन्द लिफाफा खोलकर अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति किये जाने का अनुरोध किया गया।

3—कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 में किये गये प्रस्ताव/अनुरोध के क्रम में शासन के पत्र संख्या 1606/23-4-20-06 एन0जी0/2019, दिनांक 03 नवम्बर, 2020 द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से अनुरोध किया गया कि राज्याधीन सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिये होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 व अन्य सुसंगत शासनादेशों में अंकित व्यवस्था के आलोक में श्री केदार सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में उक्त बन्द लिफाफे का नियमानुसार निस्तारण कराकर चयन समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायें।

4—शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2020 के क्रम में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 695/04/पी/एस-6/2019-20, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 द्वारा मा0 आयोग की संस्तुति उपलब्ध करायी गयी।

5—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, श्री केदार सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल) (ज्येष्ठता क्रमांक-4481) को उनसे कनिष्ठ श्री अमर चन्द्र कुसालिया (ज्येष्ठता क्रमांक-4482) के समान सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 03 जुलाई, 2020 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नोशनल पदोन्नति तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति वेतन बैण्ड-2, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित पे बैण्ड-3 के लेवल-10) प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6—श्री केदार सिंह की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

7—श्री केदार सिंह की उक्त पदोन्नति सिविल अपील संख्या 3695/2007, अतिबल सिंह बनाम श्री प्रमोद शंकर उपाध्याय व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21 अगस्त, 2019 के अनुक्रम में मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित की जाने वाली खण्डपीठ में पारित होने वाले निर्णय तथा रिट याचिका संख्या 16986/2019, मार्कण्डेय तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका/विचाराधीन प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव।

अनुभाग-11

नाम परिवर्तन

09 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 359/2020/44(8)/23-11-2020—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 11/05/2020-M & G, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में स्थित 'दांदूपुर' रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार सहर्ष परिवर्तित करते हैं—

अनुसूची

वर्तमान नाम	रोमनलिपि में परिवर्तित नये नाम की वर्तनी	देवनागरी लिपि में परिवर्तित नये नाम की वर्तनी
DANDOOPUR	MAA BARAHI DEVI DHAM	मॉ बाराही देवी धाम

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 359/2020/44 (8)/23-11-2020,** dated December 09, 2020 for general information :

No. 359/2020/44 (8)/23-11-2020

December 09, 2020

The Governor of Uttar Pradesh is pleased to change the name of the Railway Station situated in District Pratapgarh, Uttar Pradesh as per following schedule from the date of issuance of this notification, As per No objection received *vide* Ministry of Home Affairs, Government of India's letter No. 11/05/2020-M & G, Dated November 18, 2020 :

SCHEDULE

Existing Name	Spelling of the New Name of Railway Station in Roman script	Spelling of the New Name of Railway Station in Devnagri script
DANDOOPUR	MAA BARAHI DEVI DHAM	मॉ बाराही देवी धाम

By order,
NITIN RAMESH GOKARN,
Principal Secretary.

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-8

कार्यालय-ज्ञाप

21 अप्रैल, 2020 ई0

सं0 1161/पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी-II–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 में 1307 एवं पत्र संख्या 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 में 565 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्सक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[2] अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

[3] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[4] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल-अचल सम्पति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[8] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

(9) सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत हैं, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3–देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1098/पांच-8-2020-जी(290)/2017 टी0सी-II, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

29 मई, 2020 ई0

सं0 1283/पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी-II–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 में 1307 एवं पत्र संख्या 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 में 565 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्सक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[2] अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

[3] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[4] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल-अचल सम्पति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[8] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

(9) सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत हैं, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3–देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1098/पांच-8-2020-जी(290)/2017 टी0सी-II, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10 जुलाई, 2020 ई0

सं0 1795/पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी-II–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 में 1307 एवं पत्र संख्या 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 में 565 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुये सूची के कालम-8 में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मूलरूप से तैनात करते हुये अग्रिम आदेशों तक सूची के कालम-9 में उल्लिखित सम्बन्धित जनपद के कोविड चिकित्सालयों/मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन सम्बद्ध किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त क्रमांक-5 में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ-पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्सक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

[2] अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।

[3] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[4] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल-अचल सम्पति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[8] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

(8) सम्बन्धित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-II, दिनांक 07 फरवरी, 2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।

(9) सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत हैं, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3–देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1098/पांच-8-2020-जी(290)/2017 टी0सी-II, दिनांक 02 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति / तैनाती

16 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2550 (1) / 96-आयुष-1-2020-66 / 2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170 / 01 / डीआर / एस-11 / 2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-1 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000241389) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सनातन राय पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार राय, निवासी-C/o धीरेन्द्र कुमार राय, ग्राम व पोस्ट-भरौली कलॉ, पुलिस थाना-करीमुद्दीनपुर, जिला-गाजीपुर, उ0प्र0-233228 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भुझना, चन्दौली में रिक्त पद पर नियुक्त / तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी / पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (2)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-2 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000186579) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री हर्ष कुमार मिश्र पुत्र श्री राम महेश मिश्र, निवासी-म0नं0-204/एच-1, शालीमार गार्डेन, Ext.-1, जिला-गाजियाबाद, उ0प्र0-201005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पुर बाजार, अयोध्या में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अयोध्या के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (6)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-6 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000163499) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री सत्येन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री कैलाश प्रसाद कुशवाहा, निवासी-म0नं0-14, ग्राम-रमरेपुर, पोस्ट-आवाजापुर, थाना-सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उ0प्र0-232108 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डूहीकला, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (18)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-18 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000132888) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री प्रज्ञा राठौर पुत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, निवासी-म0नं0-एस-2/465 (प्राइमरी पाठशाला के पास), सिकरौल, जिला-वाराणसी-221002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मझगवॉ, चन्दौली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (20)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-20 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000368687) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री ज्ञान चन्द कुमार मौर्य पुत्र श्री मदन मोहन कुमार मौर्य, निवासी-द्रव्यगुण विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्था, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (21)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-21 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000321844) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अनूप कुमार सिंह पुत्र श्री बच्चा सिंह, निवासी-फ्लैट

नं0-254, तृतीय तल, जी ब्लॉक, मनोहरपुरम्, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड), पिन-249408 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अहमदाबाद, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (24)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-24 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000349619) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निवासी-72/148, कम्बल वाला बाग, अग्रसैन विहार, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0-251001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, खेडामुगल, सहारनपुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सहारनपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (25)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-25 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000227079) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री रोली बंसल पुत्री स्व0 नवल किशोर बंसल, निवासी-ए-76, आजाद नगर, निकट रेलवे हरथल कालोनी, मुरादाबाद, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ज्येतिजागीर, बरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (26)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-26 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000145439) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम सहारे, निवासी-म0नं0-44, ग्राम-परसऊँ, पोस्ट-शुजागंज, तहसील-रूद, थाना-पटरंगा, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), पिन-225402 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, देवकलिया, सीतापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सीतापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना

देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (27)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-27 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000197991) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री अभय कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निवासी-म0नं0-36, मोहल्ला-कटघर, सिंहमन हजारी, निकट श्री दुर्गा मन्दिर, 12 खम्भा, 88 घण्टा, जिला-मुरादाबाद, उ0प्र0-244001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चन्दौसी, सम्भल में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (30)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-30 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000141488) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री विजय कुमार पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी-होमियो आरोग्यम् क्लीनिक, बाईपास रोड, मौर्ययाना मोहल्ला के सामने, मछली शहर, जिला-जौनपुर, उ0प्र0-222143 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नगर प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (36)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-36 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000226895) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री निरंक कुमार पुत्र श्री सत्य पाल सिंह, निवासी-लाइनपार, शिवाजी नगर, गली नं0-2, जिला-मुरादाबाद, उ0प्र0-244001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पतला, गाजियाबाद में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजियाबाद के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (40)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-40 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000129954) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री मनोज कुमार चौहान पुत्र श्री शिवमूर्ति चौहान,

निवासी-ग्राम-जगदीशपुर, पोस्ट-बरावॉ, तहसील-मछलीशहर, थाना-मीरगंज, जनपद-जौनपुर, उ0प्र0-222143 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मोढ़, संतरविदास नगर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (41)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-41 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000161525) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री गणेश प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी-एन 1/65-27ए, नरोत्तम नगर, नगवा, वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, कोलना, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (44)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-44 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000313906) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र श्री भानु प्रताप सिंह, निवासी-73/1एफ/2डी/1, राम प्रिया रोड, प्रयाग, जिला-प्रयागराज, उ0प्र0-211002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सगरासुन्दरपुर, प्रतापगढ़ में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (57)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-57 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000181006) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री अनामिका शुक्ला पुत्री श्री काशीनाथ शुक्ला, निवासी-SA-10/65, A-25, गंज, सारनाथ, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221007 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गंगागंज, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की

सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (58)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-58 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000065814) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्रीमती सुजाता मिश्रा पत्नी डा0 सूर्य प्रकाश मिश्रा, निवासी-ग्राम-डीहगंजारी, पोस्ट-गंगापुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221302 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महामलपुर, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (65)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-65 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000263249) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री आशिष त्रिपाठी पुत्र श्री बृजभूषण तिवारी, निवासी-म0नं0-जे-12/34-बी, धूपचन्दी, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सागर-सेमर, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (67)/96-आयुष-1-2020-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-67 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000300549) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) श्री प्रमोद कुमार मिश्रा पुत्र श्री रामेश्वर मिश्रा, निवासी-एन 13/209, बी-123, कैलाश अपार्टमेण्ट, फ्लैट नं0-12, बृज इन्क्लेव, सुन्दरपुर, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर

प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तेन्दुआकला, मिर्जापुर में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मिर्जापुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या

2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

सं0 2550 (68)/96-आयुष-1-2020-66/2011—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-68 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-53000179931) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री प्रियंका त्रिवेदी पुत्री श्री छबिनाथ त्रिवेदी, निवासी-बी 33/33, 46, रोहित नगर कालोनी, नरिया, जिला-वाराणसी, उ0प्र0-221005 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, डलमऊ, रायबरेली में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, रायबरेली के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 1–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 दिसम्बर, 2020 ई० (पौष 5, 1942 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

October 01, 2020

No. 1904/Admin.(Services)-2020–Sri Awadhesh Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Amroha to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Amroha in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 1905/Admin.(Services)-2020–Sri Jamshed Ali, Additional District & Sessions Judge, Balrampur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Balrampur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 1906/Admin.(Services)-2020–Sri Abhay Krishna Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bareilly in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 1907/Admin.(Services)-2020–Sri Anil Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge, Gautam-buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gautambuddha Nagar in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 1908/Admin.(Services)-2020–Sri Amit Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kushinagar at Padrauna in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

October 06, 2020

No. 1909/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 24/2020/1330/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated September 15, 2020, Sri Amarendra Kumar Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Tulsipur District Balrampur in the newly created court created vide G.O. no. 25/2015/1462/ VII-Nyay-2-2015-216G/2007, dated November 24, 2015.

No. 1910/Admin.(Services)-2020–Sushri Rabins Alka, Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Balrampur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Shashi Gautam.

No. 1911/Admin.(Services)-2020–Sushri Shashi Gautam, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Balrampur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Balrampur.

No. 1912/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 25/2020/1364/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated September 24, 2020, Sri Vijay Chaudhary, Additional Civil Judge (Junior Division), Hapur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Dhaulana District Hapur in the newly created court created vide G.O. no. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007, dated November 24, 2015.

No. 1913/Admin.(Services)-2020–Smt. Farheen Khan, 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hapur *vice* Sushri Soumya Bhardwaj.

No. 1914/Admin.(Services)-2020–Sushri Soumya Bhardwaj, Judicial Magistrate, First Class, Hapur to be 2nd Civil Judge (Junior Division), Hapur *vice* Smt. Farheen Khan.

No. 1915/Admin.(Services)-2020–Sri Shamsul Rahman, Additional Civil Judge (Junior Division), Hapur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hapur *vice* Sri Arun Kumar.

No. 1916/Admin.(Services)-2020–Sri Arun Kumar, Judicial Magistrate, First Class, Hapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hapur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Omshree Chaurasia.

No. 1917/Admin.(Services)-2020–Sushri Omshree Chaurasia, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hapur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hapur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Neha Chaudhary.

No. 1918/Admin.(Services)-2020–Smt. Neha Chaudhary, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Hapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Hapur.

No. 1919/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 25/2020/1364/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated September 24, 2020, Sushri Piyushika Tiwari, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Shahganj District Jaunpur in the newly created court created vide G.O. no. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007, dated November 24, 2015.

No. 1920/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 25/2020/1364/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated September 24, 2020, Sri Manu Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Kerakat District Jaunpur in the newly created court created vide G. O. no. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/ 2007, dated November 24, 2015.

No. 1921/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Notification No. 25/2020/1364/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-TC-1, dated September 24, 2020, Sri Himanshu Verma, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Machhilishahar District Jaunpur in the newly created court created vide G.O. no. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007, dated November 24, 2015.

No. 1922/Admin.(Services)-2020–Sri Virendra Pratap Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Devesh Kumar Yadav.

No. 1923/Admin.(Services)-2020–Sri Devesh Kumar Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Praduman Singh.

No. 1924/Admin.(Services)-2020–Sri Praduman Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Jaunpur.

October 13, 2020

No. 1925/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 27/2020/1393/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 08, 2020, Smt. Parul Attri, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Azamgarh.

No. 1926/Admin.(Services)-2020–Smt. Moushamee Madhesiya, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh for trying cases of crime against women *vice* Smt. Pragya Singh-I.

No. 1927/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 27/2020/1393/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 08, 2020, Smt. Pragya Singh-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Azamgarh.

No. 1928/Admin.(Services)-2020–Sri Ranveer Singh, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda for trying cases of crime against women *vice* Smt. Vineeta Vimal.

No. 1929/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 27/2020/1393/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 08, 2020, Smt. Vineeta Vimal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda to be Additional Principal Judge, Family Court, Gonda.

No. 1930/Admin.(Services)-2020–Sri Rahul Dubey, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gorakhpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Subhash Chandra Yadav.

No. 1931/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 27/2020/1393/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 08, 2020, Sri Subhash Chandra Yadav, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Gorakhpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.

NOTIFICATION

October 14, 2020

No. 1932/Admin.(Services)-2020–In exercise of the powers conferred by Rule 27-A of U. P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended) and all other powers enabling in this behalf, the High Court is pleased to grant Super Time Pay Scale of Rs. 70,290-1/540-76,450, as per G.O. No. 3195/II-4-2003-45(12)/1991 T.C., dated August 04, 2003, read with G.O. No. 793/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-VI, dated April 30, 2010, and No. 1122/II-4-2011-45(12)/91 T.C.-6, dated May 18, 2011 to the following Officers of U. P. Higher Judicial Service, from the date mentioned against their names, Subject to any writ petition pending in High Court/Hon'ble Apex Court in this regard and also subject to final determination of seniority of officers, in case it is not finalized :

Sl. no.	Name of the Officer	Date of grant of Super Time Pay Scale	Vacancy Caused by
1	2	3	4
	Sri/Smt.-		
1	Gajendra Kumar 06-05-1962	01-01-2019	Due to retirement of Sri Om Prakash Agarwal on 31-12-2018.
2	Jai Prakash Yadav 01-10-1969	01-10-2019	Due to retirement of Sri Allah Rakhai on 30-09-2019.

1	2	3	4
	Sri/Smt.-		
3	Anil Kumar Verma 03-12-1968	01-10-2019	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Yadav on 30-09-2019.
4	Chandroday Kumar 21-12-1968	01-12-2019	Due to retirement of Sri Rajive Goyal on 30-11-2019.
5	Devendra Singh-I 14-11-1968	01-12-2019	Due to retirement of Sri Badam Singh on 30-11-2019.
6	Sanjay Shanker Pandey 22-06-1963	01-01-2020	Due to retirement of Sri Bhopal Singh on 31-12-2019.
7	Kaushalendra Yadav 13-09-1961	01-01-2020	Due to retirement of Sri Shashi Kant Shukla on 31-12-2019.
8	Ashok Kumar-VII 01-01-1965	01-01-2020	Due to retirement of Smt. Prem Kala Singh on 31-12-2019.
9	Alok Kumar Trivedi 04-09-1961	01-01-2020	Due to retirement of Sri Naveen Srivastava on 31-12-2019.
10	Brijesh Kumar Mishra 05-10-1963	01-01-2020	Due to retirement of Sri Dinesh Kumar Singh-II on 31-12-2019.
11	Narendra Bahadur Yadav 04-04-1963	01-01-2020	Due to retirement of Sri Arun Chandra Srivastava on 31-12-2019.
12	Smt. Mridula Kumar 25-09-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
13	Sanjiv Kumar 08-02-1966	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
14	Bijendra Kumar Shailat 01-07-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
15	Sudhir Kumar-III 04-09-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
16	Sushil Kumar Rastogi 30-06-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
17	Deepak Swaroop Saxena 23-09-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
18	Ashok Kumar Yadav-I 01-01-1964	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.

1	2	3	4
	Sri/Smt.-		
19	Ram Baran Saroj 26-01-1961	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
20	Smt. Sangeeta Srivastava 22-07-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
21	Griesh Kumar Vaish 15-08-1964	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
22	Brijendra Mani Tripathi 25-10-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
23	Smt. Deepa Jain 15-03-1960 (Retired on 31-03-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
24	Rakesh Kumar-III 25-01-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
25	Vikas Saxena-I 05-01-1960 (Retired on 31-01-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
26	Rakesh Kumar-IV 01-07-1960 (Retired on 30-06-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
27	Shakeel Ahmad Khan 06-01-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
28	Jyoti Kumar Tripathi 08-06-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
29	Veer Nayak Singh 01-05-1962	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
30	Santosh Kumar Srivastava 15-02-1961	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
31	Jitendra Kumar Pandey 31-03-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.

1	2	3	4
	Sri/Smt.-		
32	Ajai Kumar Srivastava-II 01-12-1963	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. Dated 26-09-2003.
33	Navneet Kumar 15-11-1961	01-02-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Gupta on 31-01-2020.
34	Mohd. Riyaz 28-04-1962	01-02-2020	Due to retirement of Sri Arun Kumar Mishra on 31-01-2020.
35	Lal Chandra Gupta 12-08-1963	01-02-2020	Due to retirement of Sri Pramod Kumar-I on 31-01-2020.
36	Sanjeev Yadav 07-06-1960 (Retired on 30-06-2020)	01-02-2020	Vacancy released due to retirement of Sri Sanjay Kumar Dey on 31-01-2020.
37	Kali Charan-II 28-05-1962	01-02-2020	Due to retirement of Sri Vikas Saxena-I on 31-01-2020.
38	Harkesh Kumar 01-03-1962	01-03-2020	Due to retirement of Sri Rajendra Kumar-III on 29-02-2020.
39	Lalta Prasad-II 14-03-1962	01-04-2020	Due to retirement of Sri Hasnain Qureshi on 31-03-2020.
40	Avinash Saksena 30-06-1963	01-04-2020	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Singh-I on 31-03-2020.
41	Jitendra Kumar Singh 01-01-1963	01-04-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar Gupta on 31-03-2020.
42	Irfan Qamar 28-06-1962	01-04-2020	Due to retirement of Smt. Deepa Jain on 31-03-2020.
43	Smt. Vani Ranjan Agrawal 21-09-1965	01-05-2020	Due to retirement of Sri Tanvir Ahmad on 30-04-2020.
44	Surendra Singh-II 01-01-1963	01-05-2020	Due to retirement of Sri Ramesh Chandra-V on 30-04-2020.
45	Lallu Singh 20-04-1964	01-06-2020	Due to retirement of Dr. Ashok Kumar Singh-IV on 31-05-2020.
46	Shyam Jeet Yadav 03-04-1961	01-06-2020	Due to retirement of Sri Madan Lal Nigam on 31-05-2020.
47	Ravindra Kumar-I 10-06-1964	01-06-2020	Due to retirement of Sri Shiv Mani Shukla on 31-05-2020.
48	Achal Sachdev 31-12-1969	01-06-2020	Due to retirement of Sri Gulab Singh-I on 31-05-2020.

1	2	3	4
	Sri/Smt.-		
49	Smt. Babita Rani 24-04-1973	01-07-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar Consul on 30-06-2020.
	Kamlesh Kuchhal 13-02-1972	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rama Nand on 30-06-2020.
50	Utkarsh Chaturvedi 14-05-1973	01-07-2020	Due to retirement of Smt. Neerja Singh on 30-06-2020.
51	Jai Prakash Pandey 15-08-1968	01-07-2020	Due to retirement of Sri Mushir Ahmad Abbasi on 30-06-2020.
52	Vinay Kumar-III 12-07-1970	01-07-2020	Due to retirement of Sri Manvendra Singh on 30-06-2020.
53	Sunil Kumar-IV 25-09-1967	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sant Ram on 30-06-2020.
54	Ram Sulin Singh 24-01-1970	01-07-2020	Due to retirement of Sri Jai Shanker Mishra on 30-06-2020.
55	Ashish Garg 13-09-1972	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rakesh Kumar-IV on 30-06-2020.
56	Raj Kumar Singh 05-08-1969	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sanjeev Yadav on 30-06-2020.
57	Vishnu Kumar Sharma 05-06-1966	01-08-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Ojha on 31-07-2020.
58	Satendra Kumar 01-01-1971	01-08-2020	Due to retirement of Sri Govind Ballabh (Sharma) on 31-07-2020.
59	Vijay Shanker Upadhyay 01-03-1967	01-08-2020	Due to retirement of Sri Vinod Kumar Singh-III on 31-07-2020.
60	Vinod Singh Rawat 11-12-1970	01-09-2020	Consequent to retirement of Sri Sushil Kumar-II on 31-08-2020.
61	Inder Preet Singh Josh 22-11-1972	01-09-2020	Consequent to retirement of Sri Anup Kumar Goel on 31-08-2020.

October 15, 2020

No. 1933/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 26/2020/1577/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-T.C.-1, dated October 01, 2020, Sri Siddi Jai Prakash, Additional Civil Judge (Junior Division), Amroha is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Dhanaura, District Amroha.

No. 1934/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 26/2020/1577/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-T.C.-1, dated October 01, 2020, Sri Mimoh Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Firozabad is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Jasrana, District Firozabad.

No. 1935/Admin.(Services)-2020–Sushri Garima Saxena, Additional Civil Judge (Junior Division), Lalitpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lalitpur for trying cases of crime against women *vice* Sri Yagyesh Kumar Sonkar.

No. 1936/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 26/2020/1577/VII-Nyaya-2-2020-216G/2007-T.C.-1, dated October 01, 2020, Sri Yagyesh Kumar Sonkar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Lalitpur, is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Talbehat, District Lalitpur.

No. 1937/Admin.(Services)-2020–Sri Nitin Pandey, Additional District & Sessions Judge,

Bahraich to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bahraich for trying cases of crime against women *vice* Smt. Poonam Pathak.

No. 1938/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Poonam Pathak, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bahraich is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Bahraich.

No. 1939/Admin.(Services)-2020–Sri Manoj Kumar Misra-II, Additional Principal Judge, Family Court, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 1940/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Ekta Verma, Additional District & Sessions Judge, Barabanki is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Barabanki.

No. 1941/Admin.(Services)-2020–Sri Irfan Ahmad, Additional Principal Judge, Family Court, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 1942/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Shubhi Gupta, Additional District & Sessions Judge, Barabanki is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Barabanki.

No. 1943/Admin.(Services)-2020–Sri Ram Avtar Yadav, Additional Principal Judge, Family Court, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 1944/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Ms. Sweta Verma, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 1945/Admin.(Services)-2020–Sri Basant Kumar Jatav, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 1946/Admin.(Services)-2020–Sushri Shirin Zaidi, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etawah for trying cases of crime against women *vice* Smt. Renu Singh.

No. 1947/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Renu Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Etawah is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Etawah.

No. 1948/Admin.(Services)-2020–Sri Rahul Anand, Additional Principal Judge, Family Court, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 1949/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Neelanjana, Additional District & Sessions Judge, Firozabad is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Firozabad.

No. 1950/Admin.(Services)-2020–Sri Ram Narayan, Additional Principal Judge, Family Court, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1951/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Sushri Chhavi Asthana, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.

No. 1952/Admin.(Services)-2020–Sri Maan Vardhan, Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1953/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Archana Rani, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.

No. 1954/Admin.(Services)-2020–Sri Rakesh Kumar-VII, Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 1955/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Sushri Ekta Kushwaha, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Jaunpur.

No. 1956/Admin.(Services)-2020–Sri Ramesh Dubey, Additional Principal Judge, Family Court, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 1957/Admin.(Services)-2020–Sri Mahendra Singh-IV, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur *vice* Sri Prakash Chandra Shukla.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jaunpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1958/Admin.(Services)-2020–Sri Prakash Chandra Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 1959/Admin.(Services)-2020–Sri Mohd. Sapheek, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Sri Sunder Lal.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1960/Admin.(Services)-2020–Sri Sunder Lal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1961/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Vijay Raje Sisodia, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 1962/Admin.(Services)-2020–Sri Ashish Kumar Chaurasia, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1963/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Roopali Saxena, Additional District & Sessions Judge, Moradabad is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Moradabad.

No. 1964/Admin.(Services)-2020–Sri Amit Malviya, Additional Principal Judge, Family Court, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 1965/Admin.(Services)-2020–Sri Subhash Chandra-VIII, Additional Principal Judge, Family Court, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur *vice* Sri Ahasan Husain.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1966/Admin.(Services)-2020–Sri Ahasan Husain, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 1967/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Manorama, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Saharanpur.

No. 1968/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Pushpa Singh, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Sultanpur.

No. 1969/Admin.(Services)-2020–Sri Manoj Kumar Singh-III, Additional Principal Judge, Family Court, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 1970/Admin.(Services)-2020–Sri Amit Kumar Prajapati, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur *vice* Smt. Asha Rani Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sultanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1971/Admin.(Services)-2020–Smt. Asha Rani Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 1972/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Smt. Divya Bhargava, Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Unnao.

No. 1973/Admin.(Services)-2020–Sri Anand Kumar, Additional Principal Judge, Family Court, Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 1974/Admin.(Services)-2020–Sri Ahsanullah Khan, Additional District & Sessions Judge, Unnao to be Special Judge, Unnao for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Kunal Vepa.

No. 1975/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. no. 684/II-4-2020-3(2)/98 T.C., dated October 13, 2020, Sri Kunal Vepa, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Unnao is appointed as Judicial Member, Commercial Tax Tribunal, Bench-1, Ghaziabad on deputation basis.

No. 1976/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. 29/2020/1568/ Saat-Nyay-2-2020-58G/2001, dated October 13, 2020, Sri Rajesh Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar is appointed as Additional Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar.

No. 1977/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. No. 684/II-4-2020-3(2)/98 T.C., dated October 13, 2020, Sri Vinay Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Anti-corruption CBI, Court No. 4, Lucknow is appointed as Judicial Member, Commercial Tax Tribunal, Bench-1, Lucknow on deputation basis.

October 16, 2020

No. 1978/Admin.(Services)-2020–Sri Mahendra Kumar-II, Civil Judge, Senior Division, Sonbhadra to be Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra *vice* Sri Ravi Prakash Sahu.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sonbhadra.

No. 1979/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Office Memorandum No. 691/II-4-2020-E-02-4001(010)/6/2020, dated October 15, 2020, Sri Ravi Prakash Sahu, Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra is appointed/posted as Senior Law Officer in the Directorate of Medical & Health, U.P., Lucknow on deputation basis.

No. 1980/Admin.(Services)-2020–Sri Aviral Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Bahraich to be Civil Judge (Junior Division), Kaisarganj sitting at Bahraich *vice* Sri Purushottam Awasthi.

No. 1981/Admin.(Services)-2020–Sri Purushottam Awasthi, Civil Judge (Junior Division), Kaisarganj sitting at Bahraich is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bahraich *vice* Sushri Roma Gupta.

No. 1982/Admin.(Services)-2020–Pursuant to Government Office Memo No. 669/II-4-2020-3(1)/2009, dated October 15, 2020, Sushri Roma Gupta, Judicial Magistrate, First Class, Bahraich is appointed/posted as Law Officer (Woman), Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog, Lucknow on deputation basis.

No. 1983/Admin.(Services)-2020–Sri Anand Gupta, Additional Civil Judge (Junior Division),

Bahraich to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bahraich for trying cases of crime against women *vice* Sri Udyan Kumar Gautam.

No. 1984/Admin.(Services)-2020–Sri Udyan Kumar Gautam, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bahraich to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bahraich against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sushri Vertika Shubhanand.

No. 1985/Admin.(Services)-2020–Sushri Vertika Shubhanand, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Bahraich to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Bahraich.

October 20, 2020

No. 1986/Admin.(Services)-2020–Sri Raj Vir Singh, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Sri Mohd. Sapheek.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1987/Admin.(Services)-2020–Sri Mohd. Sapheek, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 1988/Admin.(Services)-2020–Sri Sunder Lal, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Special Judge, Kanpur Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sanjay Kumar Verma.

No. 1989/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. no. 685/II-4-2020-12(1)/1998 T.C.-III, dated October 19, 2020, Sri Sanjay Kumar Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Judicial Department), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 1990/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. no. 685/II-4-2020-12(1)/1998 T.C.-III, dated October 19, 2020, Sri Indra Jeet Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Allahabad is appointed/posted as Special Secretary & Additional Legal Remembrancer (Judicial Department), Government of Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

No. 1991/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government O. M. no. 692/II-4-2020-15(10)/ 1994, dated October 19, 2020, Sri Anil Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Aligarh is appointed/posted as Secretary in the OfficeS of Lokayukta, Uttar Pradesh, Lucknow on deputation basis.

October 21, 2020

No. 1992/Admin.(Services)-2020–Sri Aditya Chaturvedi, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (UPSEB), Lucknow *vice* Sri Mohd. Ghazali.

No. 1993/Admin.(Services)-2020–Sri Mohd. Ghazali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 1994/Admin.(Services)-2020–Sri Vijay Chand Yadav, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow *vice* Smt. Meena Srivastava.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1995/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. U.O.-70/VI-P-9-2020-167G/2009 T.C.-Nyay-2, dated October 20, 2020, Smt. Meena Srivastava, Special Judge/ Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Anti-corruption, C.B.I., Court no. 06, Lucknow.

No. 1996/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. U.O.-70/VI-P-9-2020-167G/2009 T.C.-Nyay-2, dated October 20, 2020, Sri Ramesh Chand-II, Additional District &

Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Anti-corruption, C.B.I., Court no. 03, Lucknow.

No. 1997/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. U.O.-70/VI-P-9-2020-167G/2009 T.C.-Nyay-2, dated October 20, 2020, Sri Ajay Vikram Singh, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Anti-corruption, C.B.I. (West), Lucknow.

No. 1998/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. U.O.-70/VI-P-9-2020-167G/2009 T.C.-Nyay-2, dated October 20, 2020, Sri Manoj Pandey, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Special Judge, Anti-corruption, C.B.I. (Central), Lucknow.

No. 1999/Admin.(Services)-2020–Pursuant to the Government Notification No. U.O.-63/VI-P-9-2020-167G/2009 T.C.-Nyay-2, dated October 20, 2020, Smt. Ekta Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Special Judge, Anti-corruption, C.B.I., Court no. 02, Ghaziabad.

No. 2000/Admin.(Services)-2020–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Sanjay Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Rampur, till new District & Sessions Judge assumes charge of his office.

October 22, 2020

No. 2001/Admin.(Services)-2020–Sri Vijay Kumar Vishwakarma, Judge Small Causes Court, Gorakhpur to be Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur *vice* Smt. Tarkeshwari Singh.

No. 2002/Admin.(Services)-2020–Smt. Tarkeshwari Singh, Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur to be Judge Small Causes Court, Gorakhpur *vice* Sri Vijay Kumar Vishwakarma.

October 23, 2020

No. 2003/Admin.(Services)-2020–Smt. Kapila Raghav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Special Judge, Kanpur Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Sunder Lal.

No. 2004/Admin.(Services)-2020–Sri Sunder Lal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 2005/Admin.(Services)-2020–Sri Mohd. Sapheek, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Sri Raj Vir Singh.

He is also appointed under section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 2006/Admin.(Services)-2020–Sri Raj Vir Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Kanpur Nagar in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 *vice* Smt. Kapila Raghav.

By order of the Court,
AJAY KUMAR SRIVASTAVA-I,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 12, 2020

No. 97--Notification No. 15 dated July 26, 2020 is recalled. Sri Brijesh Kumar, Registrar-cum-Principal/Head Bench Secretary, (Emp. no. 3266) High Court, Allahabad is hereby repatriated to the post of Registrar-cum-Bench Secretary (Senior Grade), High Court, Allahabad in the pay scale of P.B.-4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7th Pay Commission).

No. 98--From the date of taking over charge, Sri Pradeep Kumar Jaiswal, Registrar-cum-Bench Secretary (Senior Grade), (Emp. no. 3274), High Court, Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal/Head Bench Secretary, High Court, Allahabad in the pay scale of P.B.-4, Rs. 37,400-67,000, Grade

Pay Rs. 8,900 (Level-13-A Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy occurred due to repatriation of Sri Brijesh Kumar to the post of Registrar-cum-Bench Secretary (Senior Grade), High Court, Allahabad.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court).

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

[ACCOUNTS (C-3) SECTION]

NOTIFICATION

October 20, 2020

No. 99--Under the orders of Hon'ble The Chief Justice dated October 19, 2020, the granted benefit of Second ACP to Sri Janardan Tiwari, D.R.-cum-B.S. Grade-III, Emp. No. 3407, *vide* Notification no. 76 dated September 17, 2020, at Sl. no. 3 is hereby cancelled.

(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Joint Registrar,
Accounts (C-3).

[ESTABLISHMENT SECTION]

October 27, 2020

No. 100--From the date of taking over charge, following 255 Assistant Review Officers, High Court, Allahabad/Lucknow Bench, Lucknow are hereby promoted as Review Officer in the pay scale Level-8, with the condition that their promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		Sri/Smt.–
1	10730	Namita Srivastava
2	10731	Poonam Kanaujia
3	10801	Ms. Deeksha Gupta, *Lko*.
4	10820	Ajeet Singh Kushawaha
5	10821	Chandra Shekhar Dwivedi
6	10822	Deepak Singh
7	10823	Shiv Raj Singh
8	10824	Shani Yadav
9	10825	Vivek Dwivedi
10	10826	Devendra Singh
11	10827	Vimaldeep Singh

1	2	3
		Sri/Smt.–
12	10828	Apoorv Srivastava
13	10829	Prakhar Singh
14	10830	Deepak Kumar Singh
15	10831	Rajan Gupta
16	10832	Ms. Shalini Singh
17	10833	Kushmakar Shukla
18	11033	Jaivardhan
19	11034	Sushil Kumar Tiwari
20	11035	Vaibhav Srivastava
21	10835	Anurag Verma
22	11037	Shivendra Bisht
23	10836	Ms. Abhilasha Katiyar
24	10837	Akash Shukla
25	10838	Ms. Shreya Awasthi
26	10839	Kanishk Rai
27	10840	Avinash Chaudhary
28	10841	Anivesh Kumar Singh
29	10842	Ankit Singh
30	10843	Ms. Divya Jain
31	11038	Saurabh Kumar Singh
32	10844	Shivam Gupta
33	11039	Rajat Kumar Singh
34	10845	Kapil Dev Tripathi
35	10846	Jyoti Shanker Gupta
36	10847	Abhishek Tripathi
37	10848	Vaibhav Chaudhari
38	10849	Praveen Kumar

1	2	3
		Sri/Smt.–
39	11040	Nrependra Dimree
40	10850	Anupam Yadav
41	10851	Kamendra Kumar
42	10852	Arvind Kumar
43	10853	Suyash Goswami
44	10854	Amit Kumar Pandey
45	10855	Pradeep Kumar Tripathi
46	10856	Kripa Shankar Goswami
47	10857	Mayank Katiyar
48	10858	Amit Kumar
49	10859	Mohd. Shahnawaz
50	10860	Gyanendra Kumar
51	10861	Prakhar Katiyar
52	10862	Krishna Kumar
53	11041	Ashish Kumar Singh
54	10863	Ayush Shukla
55	10864	Kanhaiya Ji Tiwari
56	11078	Prawal Pandey
57	11079	Shreyas Singh
58	11042	Shivam Dubey
59	10865	Alok Patel
60	10867	Abhay Pathak
61	11085	Sunil Kumar Bharti
62	11043	Adbhut Mishra
63	10868	Vipin Yadav
64	10869	Amit Kumar
65	11044	Harsh Vardhan Chaturvedi

1	2	3
		Sri/Smt.–
66	10870	Amit Kumar Yadav
67	10871	Ms. Asma Khan
68	10872	Achyut Shukla
69	11045	Saurabh Pal
70	10873	Ankur Singh
71	10875	Ashok Kumar Singh
72	10876	Deepak Raj
73	10877	Vaibhav Kumar Chaturvedi
74	10878	Saurabh Sahu
75	10879	Alok Kumar Pandey
76	10880	Anoop Kumar Shukla
77	10881	Ashish Kumar
78	10882	Prabhat Kushwaha
79	10883	Shashank Mishra
80	10884	Nishant Pachouri
81	10885	Gaurav Shrivastav
82	10886	Siddhartha Pratap Singh
83	10887	Vivek Kumar Sharma
84	10888	Amit Kumar Singh
85	10889	Abhishek Singh
86	10890	Ashwani Kumar
87	10891	Akarsh Khare
88	10892	Ankit Bajpai
89	11046	Ms. Rishi Kanaujia
90	10893	Divyanshu Gupta
91	11080	Deependra Singh Chauhan
92	10894	Shashank Patel

1	2	3
		Sri/Smt.–
93	10896	Girindra Sir Dubey
94	11047	Prakash Bansal
95	10897	Amar Kumar Sharma
96	10898	Ms. Garima Singh
97	10899	Ms. Shaziya Fatima
98	10900	Ms. Aditi Srivastava
99	10901	Vipin Verma
100	10902	Ashish Kumar Kushwaha
101	10903	Vishal Chaudhari
102	10904	Ms. Swati Sachan
103	10905	Ms. Shaumya
104	10906	Somonendra Vishwas
105	10907	Abdul Lateef
106	10908	Arvind Pratap Singh
107	10909	Surendra Singh
108	11048	S. Anand
109	10910	Ashwani Batham
110	11083	Ms. Parul Tripathi
111	10911	Dinesh Kumar Pal
112	10912	Abhishek Yadav
113	10913	Ashwani Yadav
114	10914	Anshul Verma
115	10915	Kishan Kumar Jaiswal
116	11049	Ms. Shalinee Sengar
117	10916	Ms. Swati Devi
118	10917	Ajay Kumar Maurya
119	10918	Abhishek Kumar Gautam

1	2	3
		Sri/Smt.–
120	10919	Ms. Komal Dogra
121	11050	Ajeet Kumar Singh
122	10920	Prashant Kumar Goswami
123	10921	Rajesh Kumar
124	10922	Garima Singh
125	10923	Birjoo Yadav
126	10924	Mahendra Kumar Maurya
127	10925	Mayank Singh
128	10926	Himanshu Kumar
129	10927	Ankit Kumar Verma
130	10928	Ms. Suman
131	10929	Ms. Priya Kesarwani
132	10930	Ms. Shikha Tiwari
133	11052	Ms. Shaivee Srivastava
134	10931	Ms. Aakriti Mishra
135	11086	Pavan Pratap Yadav
136	10932	Ms. Kumari Roopshri Singh
137	10933	Ms. Saroja Mourya
138	11081	Ms. Akshima Srivastava
139	10934	Awanish Kumar Gupta
140	11075	Atul Verma
141	10935	Piyush Kumar
142	10936	Avdhesh Kumar Verma
143	10937	Satyendra Kumar Jha
144	10938	Kaushlendra Verma
145	10939	Aman Verma
146	10940	Nishikant Verma

1	2	3
		Sri/Smt.–
147	11054	Arun Kumar Yadav
148	10941	Kuldeep Yadav
149	10942	Ram Swaroop Sahu
150	10943	Gupta Ravi Jaiprakash
151	10944	Ms. Shahnila Khaliq
152	10945	Ms. Unique Gangwar
153	10946	Anshuman
154	10947	Ms. Shivani Tomar
155	10948	Deepak Verma
156	11055	Pankaj Kumar Yadav
157	10949	Pushpendra Malik
158	10950	Vijay Kumar
159	10951	Ms. Deepika Rai
160	10952	Ms. Bushra Rehman
161	10953	Anoop Singh
162	11056	Mayank Yadav
163	10954	Ms. Poornima Mishra
164	10955	Mukund Bhaskar
165	10956	Ms. Neeti Chauhan
166	10957	Satyendra Kumar
167	10958	Ravi Prakash
168	11058	Pushpendra Singh Niranjan
169	10959	Ms. Chhaya Singh
170	11059	Ms. Yashika Gupta
171	10960	Ms. Sudha
172	11060	Alok Kumar
173	10961	Rohit Nandan

1	2	3
		Sri/Smt.–
174	10962	Ms. Ankita Tiwari
175	10963	Gopal Sharma
176	10964	Abhinay Kumar
177	10965	Avneesh Kumar
178	10966	Arvind Kumar Yadav
179	10967	Satendra Kumar
180	10968	Nidhish Singh
181	10969	Ms. Shweta Singh
182	10970	Arun Kumar
183	10971	Ms. Sankalp Singh
184	10972	Ashutosh Kumar Sonker
185	10973	Ms. Sonam Verma
186	10974	Ms. Richa Verma
187	10975	Siddharth Jain
188	10976	Ms. Surmila Pal
189	10977	Ms. Tripti Verma
190	10978	Ms. Priyanka
191	10979	Ms. Priyanka Chaurasia
192	10980	Piyush Kapil
193	10981	Atul Sharma
194	10982	Ms. Rachna Singh
195	10983	Ms. Jyoti Kushwaha
196	10984	Gorakh Nath
197	10985	Sushant Kumar
198	10986	Varun Nayak
199	11061	Ms. Reena Chauhan
200	11062	Vishal Verma

1	2	3
		Sri/Smt.–
201	11063	Arvind Maurya
202	10987	Ram Manoj
203	10988	Fanendra Pal Singh
204	11065	Roshan Kumar
205	10989	Prashant Kumar
206	10990	Prabhat Kumar Singh
207	10991	Rupesh Gautam
208	10992	Kunal Raj
209	10993	Ashwani Kumar Gautam
210	10994	Maninder Sahai
211	10995	Priyanshu Sagar
212	10996	Maneesha Gautam
213	10997	Pradip Kumar Saroj
214	10998	Priyanka Gautam
215	10999	Arjun Kumar Kanaujiya
216	11000	Anuj Kumar
217	11001	Mayank Bishwari
218	11002	Gaurav Ravat
219	11003	Balvendra Kumar Rawat
220	11004	Suresh Kumar Singh
221	11005	Ms. Chitralekha
222	11066	Akash Gaurav
223	11006	Nitish Kumar Ojha
224	11007	Ms. Rekha
225	11067	Ajay Kumar
226	11008	Alok Kumar
227	11069	Abhishek Kumar

1	2	3
		Sri/Smt.–
228	11009	Ashok Kumar Verma
229	11010	Siddhant Kumar
230	11011	Vijay Kumar
231	11012	Akshay Singh
232	11013	Himanshu Angolkar
233	11014	Pankaj Kumar
234	11070	Anil Kumar
235	11015	Siddharth Saroj
236	11016	Km. Asha
237	11017	Rajesh Kumar Gond
238	11018	Jitendra Kumar
239	11019	Jaiveer Singh
240	11020	Satyendra Kumar Mishra
241	11021	Manoj Kumar
242	11022	Avnish Kumar Verma
243	11023	Neeraj Kumar
244	11024	Laldeo Patel
245	11025	Raj Kumar
246	11026	Saurabh Shukla
247	11027	Dheerendra Kumar Pandey
248	11072	Sambhav Jain
249	11028	Pankaj Singh
250	11029	Tej Bahadur
251	11073	Kandarp Mishra
252	11082	Shivram Prasad
253	11030	Ms. Shashi Kanta Chaudhary
254	11074	Rahul Kumar
255	11031	Dhirendra Pratap

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

बाँदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

22 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 25(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	पछौंहा	पछौंहा	6-2 खलिहान खाता संख्या 1701	3016	0.223 में से 0.072	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 26(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	सांतर	सांतर	6-4 खलिहान खाता संख्या 454	462	0.8660 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 27(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	कायल	कायल	6-2 खलिहान खाता संख्या 398	264	0.6760 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 28(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	सोनहुला	सोनहुला	6-4 खलिहान खाता संख्या 189	264	0.368 में से 0.065	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 29(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते

हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	अण्डौली	अण्डौली	6-2 खलिहान खाता संख्या 500	373	0.2590 में से 0.1258	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 30(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	खरौली	खरौली	6-4 खलिहान खाता संख्या 644	962	0.9950 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 31(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	बदौली	बदौली	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 490	914/1	1.359 में से 0.065	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 32(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	विनवट	विनवट	6-4 खाद के गड्ढ़े खाता संख्या 518	335-मि0	0.0730 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 33(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	बछौंधा सानी	बछौंधा सानी	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 151	376	1.0880 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 34(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	दफ्तरा	दफ्तरा	6-2 खलिहान खाता संख्या 203	185	0.680 में से 0.070	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 35(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	पैलानी	नरायढ़ बॉगर	नरायढ़	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 278	294-क	0.3840 में से 0.1600	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को नरायढ़ ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 36(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	फुफुंदी	फुफुंदी	6-4 खलिहान खाता संख्या 425	159	0.1300 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 37(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त

दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	सॉड़ा	सॉड़ा	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 825	1166	0.295 में से 0.065	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 38(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	थरथुवा	थरथुवा	6-2 खलिहान खाता संख्या 221	281	0.2170 में से 0.0625	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को अमलीकौर ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 39(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते

हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	इटर्रा बढ़ौनी	इटर्रा बढ़ौनी	5-3-ड0 बंजर खाता संख्या 252	272/2-मि0	0.146 में से 0.063	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 40(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	मुसीवां	मुसीवां	6-2 खलिहान खाता संख्या 1696	2564	0.109 में से 0.072	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को खटान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

सं0 41(5)/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 08, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड 1 (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या 744/एक-1-बी(5)/2016, लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते

हुये मैं, आनन्द कुमार सिंह, जिलाधिकारी, बांदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील/परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बाँदा	बबेरू	कुचौली	कुचौली	5-1 नवीन परती खाता संख्या 255	313/1	0.403 में से 0.160	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 को कुचौली ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु।

आनन्द कुमार सिंह,
जिलाधिकारी, बाँदा।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

14 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 192/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	गंगचारी ग्राम समाज गंगचारी	378/19	0.250	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनोंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 193/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानुपर	बैजनाथ ग्राम समाज गुन्दरापुर	508	0.136	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मसौरा-सिंधवाहा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 194/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	बरतला ग्राम समाज पुराधंधकुवां	516-मि0	0.250	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला-मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 195/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	कुसमाड़ ग्राम समाज कुसमाड़	1121/3	0.160	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 196/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	दरौनी ग्राम समाज दरौनी	397	0.161	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनोंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 197/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	चकौरा ग्राम समाज चकौरा	759-मि0	0.160	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला-मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 198/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	मेगुवां ग्राम समाज मेगुवां	481/2	0.160	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 199/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	पथराई ग्राम समाज पथराई	521	0.245	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को धौर्रा-बालाबेहट ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 200/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	डंगराना ग्राम समाज डंगराना	938	0.250	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला-मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 201/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	ग्यांव ग्राम समाज म्यांव	2539-मि0	0.250	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को चंदावली ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 202/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	ककड़ारी ग्राम समाज ककड़ारी	529-मि0	0.160	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला-मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 203/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	मिर्चवारा ग्राम समाज मिर्चवारा	173-मि0	0.160	6-4-पत्थर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनौंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 204/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	गुढ़ा ग्राम समाज गुढ़ा	389-ख	0.160	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 205/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	रूकवाहा ग्राम समाज रूकवाहा	1330	0.250	5-2-पुरानी परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 206/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	महरौनी	निवारी ग्राम समाज निवारी	399	0.160	5-1-नवीन परती	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सोजना-गुढ़ा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 207/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	महरौनी	बानपुर	कुआंगांव ग्राम समाज गुआंगांव	1557/2	0.250	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को बिल्ला-मोगान ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

31 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 295/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	लागौन ग्राम समाज लागौन	557	0.243	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को लागौन ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 296/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	मिर्चवारा ग्राम समाज मिर्चवारा	876/2	0.252	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को कचनौंदाकलां ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 297/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	गिरार ग्राम समाज गिरार	519/3-मि0	0.202	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को टोरी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 298/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	बम्हौरीकलां ग्राम समाज बम्हौरीकलां	465-मि0	0.202	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को सैदपुर-कुम्हैड़ी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 299/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	गोराकलां ग्राम समाज गोराकलां	229/22	0.161	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मड़ावरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

सं0 300/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0 (2020-21)–शासनादेश संख्या 258/रा0-1/16(1)-73, दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, अन्नावि दिनेशकुमार, जिलाधिकारी, ललितपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव, गांव सभा/स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	ललितपुर	मड़ावरा	मड़ावरा	प्यासा ग्राम समाज प्यासा	771	0.233	5-3-ड़, बंजर	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश को मड़ावरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

जालौन स्थान उरई के जिलाधिकारी की आज्ञायें

28 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1773/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	मटरा	189	0.393 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम मटरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,27,200.00 (मु0 दो लाख सत्ताईस हजार दो सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1774/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	कीरतपुर	246	0.429 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम कीरतपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,51,200.00 (मु0 एक लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1775/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई

निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सधारा	682	0.094	जो श्रेणी 6-4/बेहड़ भूमि जो अन्य कारणों से अकृषित हो	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम सधारा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 81,780.00 (मु0 इक्यासी हजार सात सौ अस्सी रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1776/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सजहरा	109	0.259 में से 0.160	5-1/कृषि योग्य भूमि नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम सजहरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,33,100.00 (मु0 दो लाख तैंतीस हजार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1777/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	चमारी	620/2	3.278 में से 0.160	जो श्रेणी 6-4/जो बेहड़ अन्य कारणों से अकृषित हो	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम चमारी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,08,000.00 (मु0 दो लाख आठ हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1778/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	मदरा-लाडपुर	32/1	0.117	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम मदरा लाडपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,07,640.00 (मु0 एक लाख सात हजार छः सौ चालीस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1779/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	भदरेखी	346/3	3.335 में से 0.160	जो श्रेणी 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो बेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम भदरेखी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,20,000.00 (मु0 दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1780/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	गोराकलां	286	1.030 में से 0.160	श्रेणी 5-1/ कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम गोराकलां नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,10,400.00 (मु0 दो लाख दस हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1781/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	जकसिया	66	0.768 में से 0.160	6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित बेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम जकसिया नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,39,360.00 (मु0 दो लाख उनतालीस हजार तीन सौ साठ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1782/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	पण्डौरा	256	0.773 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम पण्डौरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,78,720.00 (मु0 एक लाख अठहत्तर हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1783/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	कानाखेडा	485	0.348 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम कानाखेडा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,65,600.00 (मु0 एक लाख पैंसठ हजार छः सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1784/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	चंदरसी	238	0.991 में से 0.160	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम चंदरसी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,16,000.00 (मु0 दो लाख सोलह हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1785/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	मोहारी	359-क	1.728 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम मोहारी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,47,200.00 (मु0 एक लाख सैतालीस हजार दो सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1786/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	परौसा	437	1.056 में से 0.160	जो श्रेणी 5-3-क/बंजर कृषि योग्य बंजर-इमारती लकड़ी के वन	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम परौसा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,48,000.00 (मु0 दो लाख अड़तालीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1787/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	लुहरगांव	74	1.656 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम लुहरगांव नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,58,400.00 (मु0 एक लाख अट्ठावन हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1788/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	निवहना	166-ङ	0.680 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम निवहना नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,20,000.00 (मु0 दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1789/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	सिमरा शेखपुर मुस्तकिल	28/2	0.162 में से 0.160	जो श्रेणी 5-3-क/बंजर कृषि योग्य बंजर-इमारती लकड़ी के वन	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम सिमरा शेखपुर मुस्तकिल नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,20,000.00 (मु0 दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1790/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	उकासा	868	0.214 में से 0.160	श्रेणी 5-2/कृषि योग्य भूमि-पुरानी परती (परतीजदीद) पुरानी परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम उकासा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 3,19,200.00 (मु0 तीन लाख उन्नीस हजार दो सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1814/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	रौरा	454	0.182 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नई परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम रौरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1815/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	गोपालपुरा	2146	0.611 में से 0.160	जो श्रेणी 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो वेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम गोपालपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1816/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	गोराभूपका	982-ग	0.543 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम गोराभूपका नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1817/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	जमरेही अब्बल	64	0.093	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम जमरेही अव्वल नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,10,670.00 (मु0 एक लाख दस हजार छः सौ सत्तर रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1818/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कुर्रा	113-क	1.894 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम कुर्रा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1819/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची

के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	शहबाजपुर	10 सा0आ0	0.454 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम शहबाजपुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,38,400.00 (मु0 दो लाख अड़तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1820/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	मडैया	865-घ	0.405 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम मडैया नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,05,600.00 (मु0 एक लाख पांच हजार छः सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1821/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	घसियारेपुर	2/2	0.421 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम घसियारेपुर पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 9,12,000.00 (मु0 नौ लाख बारह हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1822/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	कालपी	कालपी	हररायपुर	1118	0.232 में से 0.160	5-2/कृषि योग्य भूमि-पुरानी परती (परतीकदीम)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 के अन्तर्गत कोटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना हररायपुर।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,00,000.00 (मु0 दो लाख रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1823/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	जालौन	जालौन	परतापपुरा	289 सा0 आ0	0.295 में से 0.090	5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम परतापपुरा नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में

देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,03,950.00 (मु0 एक लाख तीन हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

31 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1791/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	नावर	318	0.210 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम नावर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,23,560.00 (मु0 दो लाख तेईस हजार पांच सौ साठ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1792/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	रूदपुरा माधौगढ़	168	0.073	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम रूदपुरा माधौगढ़ नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 86,870.00 (मु0 छियासी हजार आठ सौ सत्तर रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1793/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	पारेन मुस्तकिल	1-क	4.085 में से 0.160	श्रेणी 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो बेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम पारेन मुस्तकिल नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में

देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,14,310.00 (मु0 एक लाख चौदह हजार तीन सौ दस रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1794/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	सिलउवा जागीर	207	0.308 में से 0.160	श्रेणी 6-4/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो बेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम सिलउवा जागीर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1795/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	सर्र	603	0.211 में से 0.160	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम सर्र नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 1796/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	पडकुला	382	0.279 में से 0.101	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम पडकुला नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,190.00 (मु0 एक लाख बीस हजार एक सौ नब्बे रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1797/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	नावली	409/1433	0.526 में से 0.160	श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम नावली नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1798/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अमखेडा	860	0.328 में से 0.202	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम अमखेडा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,40,380.00 (मु0 दो लाख चालीस हजार तीन सौ अस्सी रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1799/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	बाबूपुरा	259	0.291 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम बाबूपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 2,23,560.00 (मु0 दो लाख तईस हजार पांच सौ साठ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1800/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अन्ढाई	103	2.181 में से 0.101	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम अन्ढाई नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,190.00 (मु0 एक लाख बीस हजार एक सौ नब्बे रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1801/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	कुन्नऊ	346	0.255 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम कुन्नऊ नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में

देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1802/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	जमरेही सानी	330	0.221	5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम जमरेही सानी नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 3,38,800.00 (मु0 तीन लाख अड़तीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1803/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	महाराजपुरा	189/29	0.198 में से 0.160	जो श्रेणी 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो वेहड़ भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम महाराजपुरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,000.00 (मु0 एक लाख बीस हजार रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1804/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अटागांव	317 ह0 आ0	0.441 में से 0.101	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम अटागांव नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,20,190.00 (मु0 एक लाख बीस हजार एक सौ नब्बे रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1805/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	मिर्जापुर	151	हेक्टेयर 0.409 में से 0.160	श्रेणी 5-3-ङ/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम मिर्जापुर नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1806/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अनघौरा	198	0.182 में से रकबा 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम अनघौरा नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

सं0 1807/8-डी0एल0आर0सी0–शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, डा0 मन्नान अख्तर, आई0ए0एस0, जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाँव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	जालौन	माधौगढ़	माधौगढ़	अहेता	215 सा0 आ0	0.162 में से 0.160	जो श्रेणी 5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), उ0प्र0 ग्राम अहेता नलकूप पाइप पेयजल योजना हेतु।

उक्त गांव सभा की भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूं कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में

देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं नियमों के अन्तर्गत वर्णित धनराशि रु0 1,90,400.00 (मु0 एक लाख नब्बे हजार चार सौ रुपये मात्र) धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे।

डा0 मन्नान अख्तर,
जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञा

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 942 (1-7)/डी0एल0आर0सी0/2020–शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित भूमि ग्राम ककोड़ देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 16 सितम्बर, 2020 व भू0प्र0स0 के प्रस्ताव दिनांक 20 अगस्त, 2020 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 0.329 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20-56सा/2018, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में उ0प्र0 शासन के स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुये नगर विकास विभाग को नगर पंचायत, ककोड़ में डम्पिंग ग्राउण्ड हेतु कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 की अनुमति संख्या 1443/सी0ई0ओ0-1-40/1-2020 (डी) लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित शर्त "The Commission has no object to the proposal contained in your aforesaid letter, subject to the condition that there shall be no mention in this regard by anyone to gain political mileage." के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है :

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	सिकन्द्राबाद	ककोड़ देहात	147-म	0.126	5-1/कृषि योग्य भूमि-नई परती (परतीजदीद) नवीन परती	उ0प्र0 शासन के स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुये नगर विकास विभाग को नगर पंचायत, ककोड़ में डम्पिंग ग्राउण्ड हेतु।
				253-म	0.203		
				योग . .	**0.329**		

रविन्द्र कुमार,
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

भदोही के जिलाधिकारी की आज्ञा

31 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 2050/डी0एल0आर0सी0/2020—शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेन्द्र प्रसाद, जिलाधिकारी, भदोही निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 जून, 2016 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	भदोही	भदोही	भदोही	धौरहरा	39/1/13	0.182	परती कदीम	नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन (वाटर ट्रीटमेंट प्लाण्ट, न0पा0प0, भदोही)।

राजेन्द्र प्रसाद,
जिलाधिकारी, भदोही।

कार्यालय, उपसंभागीय परिवहन अधिकारी, जनपद बदायूँ

29 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 6973/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7331 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448201C0F08515 एवं इंजन नं0 21FB4059069, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री अकरम अली पुत्र श्री बरकतउल्लाह, निवासी C/o अनवार पुत्र सलीम, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7331 ट्रक South India Freight Carriers GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री अकरम अली पुत्र श्री बरकतउल्लाह, निवासी C/o अनवार पुत्र सलीम, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6877/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6928/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था परन्तु श्री अकरम अली पुत्र श्री बरकतउल्लाह, निवासी C/o अनवार पुत्र सलीम, थाना

कोतवाली, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री अकरम अली पुत्र श्री बरकतउल्लाह, निवासी C/o अनवार पुत्र सलीम, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7331 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6974/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020–वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4383 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7198) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448202C5K19654 एवं इंजन नं0 21K84080082, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री जहांगीर आलम पुत्र श्री मजुरूल, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, कोतवाली, जनपद बदायूँ-243601 के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6858/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र संख्या 1692, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4383 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7198) ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Nuh, Mewat, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री जहांगीर आलम पुत्र श्री मजुरूल, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, कोतवाली, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6874/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6934/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था परन्तु श्री जहांगीर आलम पुत्र श्री मजुरूल, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, कोतवाली, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री जहांगीर आलम पुत्र श्री मजुरूल, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, कोतवाली, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4383 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7198) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6975/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020–वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4389 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/7355) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448202C5K20090 एवं इंजन नं0 21KB4081300, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री नासिर पुत्र श्री मोहम्मद, निवासी C/o अरसन पुत्र फरमान, मो0 सोथा, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4389 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7355) ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री नासिर पुत्र श्री मोहम्मद, निवासी C/o अरसन पुत्र फरमान, मो0 सोथा, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6880/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6926/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री नासिर पुत्र श्री मोहम्मद, निवासी C/o अरसन पुत्र फरमान, मो0 सोथा, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री नासिर पुत्र श्री मोहम्मद, निवासी C/o अरसन पुत्र फरमान, मो0 सोथा, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4389 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7355) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6976/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर-55-एल/9697 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT388391A0K17359 एवं इंजन नं0 01K62935730, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2010, श्री मुजफ्फर अली पुत्र श्री मुनब्बर अली, निवासी C/o नफीस पुत्र श्री अनवार, मोह0 चौधरीसराय, थाना कोतवाली, बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-एल/9697 ट्रक Mujaffar Ali GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री मुजफ्फर अली पुत्र श्री मुनब्बर अली, निवासी C/o नफीस पुत्र श्री अनवार, मोह0 चौधरीसराय, थाना कोतवाली, बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6876/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6927/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री मुजफ्फर अली पुत्र श्री मुनब्बर अली, निवासी C/o नफीस पुत्र श्री अनवार, मोह0 चौधरीसराय, थाना कोतवाली, बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री मुजफ्फर अली पुत्र श्री मुनब्बर अली, निवासी C/o नफीस पुत्र श्री अनवार, मोह0 चौधरीसराय, थाना कोतवाली, बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-एल/9697 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6977/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7329 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/7024) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448201C0F08501 एवं इंजन नं0 21KB4059577, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री दिलशाद हुसैन पुत्र श्री अब्बास अली खाँ, निवासी C/o फहीम पुत्र अमान, मोह0 ऊपरपारा, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं

सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7329 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7024) ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री दिलशाद हुसैन पुत्र श्री अब्बास अली खाँ, निवासी C/o फहीम पुत्र अमान, मोह0 ऊपरपारा, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6878/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6929/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री दिलशाद हुसैन पुत्र श्री अब्बास अली खाँ, निवासी C/o फहीम पुत्र अमान, मोह0 ऊपरपारा, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री दिलशाद हुसैन पुत्र श्री अब्बास अली खाँ, निवासी C/o फहीम पुत्र अमान, मोह0 ऊपरपारा, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-क्यू/7329 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/7024) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6978/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020—वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4398 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/6771) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448202C5K19255 एवं इंजन नं0 21KB4077517, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री शाने आलम पुत्र श्री इकरार हुसैन, निवासी C/o नसीम पुत्र सलमान, नाहर खाँ सराय, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4398 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/6771) ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री शाने आलम पुत्र श्री इकरार हुसैन, निवासी C/o नसीम पुत्र सलमान, नाहर खाँ सराय, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6878/सा0प्रशा0/टी0आर0/ नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6930/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री शाने आलम पुत्र श्री इकरार हुसैन, निवासी C/o नसीम पुत्र सलमान, नाहर खाँ सराय, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री शाने आलम पुत्र श्री इकरार हुसैन, निवासी C/o नसीम पुत्र सलमान, नाहर खाँ सराय, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4398 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/6771) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6979/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020–वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4391 ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448202C5K18749 एवं इंजन नं0 21KB4D078222, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री मोहम्मद विलाल पुत्र श्री अनवार हुसैन, निवासी C/o अकरम पुत्र नसीम, मो0 नई सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6859/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यमुनानगर, हरियाणा के पत्र संख्या 1767/सहायक, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4391 ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Yamunanagar, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद विलाल पुत्र श्री अनवार हुसैन, निवासी C/o अकरम पुत्र नसीम, मो0 नई सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6879/सा0प्रशा0/टी0आर0/ नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6931/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री मोहम्मद विलाल पुत्र श्री अनवार हुसैन, निवासी C/o अकरम पुत्र नसीम, मो0 नई सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री मोहम्मद विलाल पुत्र श्री अनवार हुसैन, निवासी C/o अकरम पुत्र नसीम, मो0 नई सराय, थाना कोतवाली, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4391 ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6980/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020–वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4400 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/7348) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT448202C5J16974 एवं इंजन नं0 21J84075502, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2012, श्री सरफराज हुसैन पुत्र अन्जर हुसैन, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, जनपद बदायूँ-243601 के नाम दिनांक 09 फरवरी, 2018 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित न होने के कारण संदेह के आधार पर तदोपरान्त स्वयं अधोहस्ताक्षरी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ के द्वारा पत्रांक 6858/सा0प्रशा0/एन0ओ0सी0 सत्यापन/2020, दिनांक 07 अक्टूबर, 2020 के सन्दर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, नूह, हरियाणा के पत्र संख्या 1692/सहायक, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4400 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/7348) ट्रक M/s SIFS Logistice Pvt. Ltd. GRL Jaggadhari, Nuh, Mewat, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री सरफराज हुसैन पुत्र अन्जर हुसैन, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6875/सा0प्रशा0/टी0आर0/ नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6932/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री सरफराज हुसैन पुत्र अन्जर हुसैन, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री सरफराज हुसैन पुत्र अन्जर हुसैन, निवासी मोहल्ला ऊपरपारा, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-55-आर/4400 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/7348) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

सं0 6981/सा0प्रशा0/पंजीयन निरस्तीकरण/2020–वाहन संख्या एच0आर-74/1339 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/8154) ट्रक, जिसका चेसिस नं0 MAT42602397H17279 एवं इंजन नं0 90G624003745, विनिर्माता टाटा मोटर्स लिमिटेड, मॉडल 2009, श्री जीतेश सारस्वत पुत्र श्री अश्वनी सारस्वत, निवासी त्रिवेदी भवन, निकट आर0एस0एस0 कार्यालय, न्यू आदर्श नगर कालोनी, जनपद बदायूँ के नाम दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को पंजीयन किया गया। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 वाहन पोर्टल पर बदायूँ के लिये प्रदर्शित नहीं हो रही है। वाहन संख्या एच0आर-74/1339 (नया पंजीयन नं0 यू0पी0-24टी/8154) ट्रक M/s Abrar Khan & Jaiprakash R/o Rewashan, Nuh, Mewat, Haryana के नाम पंजीकृत है। उक्त वाहन की एन0ओ0सी0 इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री जीतेश सारस्वत पुत्र श्री अश्वनी सारस्वत, निवासी त्रिवेदी भवन, निकट आर0एस0एस0 कार्यालय, न्यू आदर्श नगर कालोनी, जनपद बदायूँ को इस कार्यालय के पत्र संख्या 6872/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या 6933/सा0प्रशा0/टी0आर0/नोटिस/2020, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के द्वारा पुनः पंजीकृत डाक से सूचित किया गया था। परन्तु श्री जीतेश सारस्वत पुत्र श्री अश्वनी सारस्वत, निवासी त्रिवेदी भवन, निकट आर0एस0एस0 कार्यालय, न्यू आदर्श नगर कालोनी, जनपद बदायूँ अभी तक इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी श्री जीतेश सारस्वत पुत्र श्री अश्वनी सारस्वत, निवासी त्रिवेदी भवन, निकट आर0एस0एस0 कार्यालय, न्यू आदर्श नगर कालोनी, जनपद बदायूँ द्वारा फर्जी, मिथ्या एवं कूटरचित प्रपत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से पंजीयन प्राप्त किया गया है।

अतः मैं, एन0सी0 शर्मा, पंजीयन अधिकारी, बदायूँ/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बदायूँ केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या एच0आर-74/1339 (नया पंजीयन संख्या यू0पी0-24टी/8154) ट्रक का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूं।

एन0सी0 शर्मा,
सहायक सम्भागीय,
परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
बदायूँ।

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 दिसम्बर, 2020 ई० (पौष 5, 1942 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

07 सितम्बर, 2020 ई0
नई दिल्ली, तारीख ——————————
10 भाद्रपद, 1942 (शक)

आदेश

सं0 76/उ0प्र0-वि0स0/354/2019 (उप)–**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/84/2019, दिनांक 21 सितम्बर, 2019 के जरिये की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को घोषित किये गये थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 23 नवम्बर, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अब्दुल कयूम अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अन्तर्गत श्री अब्दुल कयूम को दिनांक 31 जनवरी, 2020 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं0 76/उ0प्र0-वि0स0/354/भा0नि0आ0/पत्र/टेर0/उ0अनु0-III-उ0प्र0/2019 (उप) जारी किया गया था :

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किये गये है।

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री अब्दुल कयूम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुये अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री अब्दुल कयूम को दिनांक 19 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन-पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ ने दिनांक 11 अगस्त, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री अब्दुल कयूम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिये भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अब्दुल कयूम विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिये कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।'';

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि श्री अब्दुल कयूम, निवासी मोहल्ला-करीमुद्दीनपुर, थाना व तहसील-घोसी, जनपद-मऊ, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा उप निर्वाचन, 2019 में 354-घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिये निरर्हित होंगे।

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, *dated the* 7th *September*, 2020 / *Bhadrapada* 16,th 1942 (*Saka*).

ORDER

No. 76/UP-LA/354/2019(Bye)–WHEREAS, the Bye Election for 354-Ghosi Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2019 was announced by the Election Commission of India *vide* Press Note No. ECI/PN/84/2019, dated 21st September, 2019 ; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate ; and

WHEREAS, the result of the election for 354-Ghosi Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 24th October, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 23rd November, 2019 ; and

WHEREAS, as per the report dated 25th November, 2019 submitted by the District Election Officer, Mau District, Uttar Pradesh, Shri Abdul Qayum, a contesting candidate of Bahujan Samaj Party from 354-Ghosi Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/354/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2019 (Bye), dated 31st January, 2020 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Abdul Qayum, for the following defects in accounts of his election expenses :–

(i) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted.

(ii) All Expenditure (Except petty expenditure) not routed through bank account; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, Shri Abdul Qayum was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mau within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Mau, the said notice was served to Shri Abdul Qayum on 19th March, 2020 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Mau, has submitted in his supplementary report, dated 11th August, 2020 that Shri Abdul Qayum, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers *etc*. till that date. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Shri Abdul Qayum has failed to lodge his acccounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Abdul Qayum, Resident of Mohalla-Karimuddinpur, P.S. & Tehsil-Ghosi, District-Mau, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 354-Ghosi Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the Bye Elections to the State Legislative Assembly, 2019, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–24 निर्वाचन–23-12-2020–25 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 26 दिसम्बर, 2020 ई० (पौष 5, 1942 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम,हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0बिलग्राम/2020-21–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 सूची (1) उपखण्ड (क), क, ख, ग, घ, ड., के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, जनपद हरदोई की समिति बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के संकल्प संख्या 04 के अन्तर्गत, ने अपनी सीमा के अन्तर्गत **''भवन निर्माण''** नियमावली बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी "दैनिक राष्ट्रीय महत्व" दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी। अतः एत्दद्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

भवन निर्माण नियमावली

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई ''भवन निर्माण'' नियमावली, वर्ष 2012 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बिलग्राम, जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **"बोर्ड/समिति"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई के बोर्ड/समिति से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** से तात्पर्य नगर पालिकापरिषद बिलग्राम जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) **"नगर पालिका"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद बिलग्राम हरदोई से है।

(च) **"नगर पालिका की सीमाओं"** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4–**नोटिस**–कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी हैं और उसे किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है तो वह उस पर निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह उक्त ऐक्ट की धारा 178 के अन्तर्गत नगर पंचायत से निर्धारित शुल्क जमा कर फार्म क्रय करके सम्बन्धित फार्म पर अधिशासी अधिकारी को एक लिखित नोटिस देगा।

5–**प्लान**–इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लाथ एवं ब्लू प्रिंट पर हो सकते हैं। उपर्युक्त नोटिस तब तक अमान्य समझा जायेगा। जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति यह नोटिस नहीं देता है कि उसने उस शुल्क का भुगतान नगरपालिका परिषद, बिलग्राम में कर दिया है। जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न करनी होगी यदि किसी कारण से नगर पालिका द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाता है और शुल्क जो अदा कर दिया गया है वह भवन स्वामी को मानचित्र की स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगरपालिका द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के अनुमोदन के पश्चात् बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर किसी प्रकार निर्माण पुर्ननिर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता है तो वह दो प्रतियों में नोटिस देगा और नोटिस के साथ नक्शे प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, बिलग्राम में नोटिस एवं नक्शे की दो प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नोटिस देने के लिए भेजेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर इस बात की सूचना नगरपालिका परिषद, बिलग्राम को देगा कि उन्हें इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है या नहीं यदि उक्त पदाधिकारी नगरपालिका को दो सप्ताह के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना प्रेषित नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर कोई आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6–इस प्रकार प्रस्तुत सभी नक्शे 1 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढ़ंग से खींचे होने चाहिए और स्केल मानचित्र पर अंकित होनी चाहिये और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिये मानचित्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिए–

(क) मानचित्र में उस भूखण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाप तथा अधार दर्शाना चाहिये तथा भूखण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिये। मानचित्र से उस भूखण्ड की चौहद्दी भी साफ-साफ दर्शानी चाहिये तथा उस भूखण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिये।

(ख) मानचित्र से शटर और परनाले का गन्दे पानी की निकास की नालियों का उल्लेख होना चाहिए।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे शौचालय स्नानागार आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिए।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए–

[1] भूतल और उससे मिली हुई नालियों, सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

[2] सड़कों का परिमाप एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि शयनकक्ष, रसोई घर, शौचालय आदि।

[3] भूतल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल।

[4] मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलीवेशन दर्शाना चाहिए।

[5] कुर्सी का लेबिल तथा अभिन्यास प्लान से लगी सड़को का लेबिल।

[6] दरवाजो, खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरी का प्रकार एवं माप।

[7] सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद दीवारें, छते तथा फर्श का निर्माण होना है।

(ड.) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यो को विभिन्न रंगों से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए

जैसे प्रस्तावित लाल रंग से वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिए।

(च) भवन मानचित्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान भी दर्शाना होगा।

7–शुल्क उपनियम 5 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा :

	भूतल	अतिरिक्त तल (प्रति)
	प्रति वर्ग फिट	प्रति वर्ग फिट
1–निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	6.00	3.00
2–निवासीय भवन (ओपेन एरिया)	4.00	2.00
3–व्यवसायिक भवन दुकान (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
4–व्यवसायिक भवन (ओपेन एरिया)	20.00	10.00
5–वर्कशाप, फैक्ट्री (कारखाना आदि)	30.00	15.00
6–वर्कशाप, फैक्ट्री, कार-खाना आदि (आपेन एरिया)	25.00	10.00

नोट–शुल्क स्टेशनरी शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा जो कि भवन मानचित्र जमा करने के समय जमा किया जायेगा। भवन मानचित्र अस्वीकृत होने की दशा में जमा शुल्क का 25 प्रतिशत धनराशि स्टेशनरी शुल्क के रूप में रोक ली जायेगी तथा 75 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

1–प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर निर्धारित शुल्क होगा।

2–इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लाथ का मूल्य शामिल नहीं है।

3–नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 181 के अन्तर्गत यह स्वीकृति एक वर्ष हेतु मान्य होगी।

4–(क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्णतः पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा प्रोजेक्शन हेतु प्रोजेक्शन नियमावली के अन्तर्गत पृथक से आवेदन करना होगा।।

(ग) भूतल पर सड़क को और खुलने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाता है तो सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा स्थल छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

5–धार्मिक स्थल-मस्जिद, मन्दिर, चर्च, गुरूद्वारा इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह स्थलों के बीच से 7.50 मीटर की दूरी पर न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण नहीं किया जायेगा।

6–बिजली के तार बिजली के तारों से दूरी उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन एक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लेखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहेबान या ऐसी किसी प्रकार की चीज का नवनिर्माण, पुर्नानिर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

7–**शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास–**ऐसे व्यक्ति जो भवन का निर्माण स्थान करेगा जो कि सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर होगा तो उसे अपने भवन के पानी को नाली को सार्वजनिक नाली, तक स्वयं मिलाना होगा।

8–भवन में फ्लैश/लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना फ्लैश/लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

9–नालियां भवन की नालियां सीमेन्ट कंकरीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनाई जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जोड़ा होना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगा।

10–बरसाती पानी के छतों से उतरने हेतु पाइप लगाने होंगे।

11–**पिलिन्थ (कुर्सी)**–भवन का पिलिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

12–**भवन की ऊँचाई–**भूतल पर फर्श से छत पर ऊँचाई 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13–(क) **भवन की किनारे–**व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरें में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/01 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना-बहु मंजिले भवनों के हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14–(क) किसी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जिसकी चौड़ाई 7.50 मीटर तथा लम्बाई (गहराई) 12.00 मीटर से कम न होगी।

(ख) किसी भी ऐसे भूखण्ड पर निवासीय भवन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जहां पर कूड़ा व गन्दे पदार्थो का ढेर लगाया जाता हो तब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी उसके लिए अपनी स्वीकृति न दे दें।

15–जानवरों का बाड़ा-जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।

16–(क) नक्शा स्वीकृत करने से पहले भूखण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से कर विभाग से आख्या ली जायेगी।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक/ या जैसी स्थिति हो से रोशनी एवं वेन्टीलेशन एवं शौचालय आदि के आख्या आदि के पश्चात् नक्शा स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) जब अधिशासी अधिकारी वह इत्मीनान कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से सम्बन्धित सभी शर्तो को पूरी करता है तो वह मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्गो पर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेगा इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।

17–शासन/जिला/उच्चाधिकारियों से समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रूपय पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

हबीब अहमद,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम ,हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0बिलग्राम/2020-21–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम की समिति बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के संकल्प संख्या 04 के अन्तर्गत ने अपनी सीमा के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/होर्डिग/बैनर/वाल पेन्टिंग/कटआउट/बोर्ड पोस्टर पर कर रोपड़ के उद्देश्य **"विज्ञापन कर"** नियमावली बनायी है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी "दैनिक राष्ट्रीय महत्व" दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था, प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुये है। इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एत्दद्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

नियमावली ''विज्ञापन कर''

1–**शीर्षक**–यह नियमावली नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई''विज्ञापन कर'' नियमावली, वर्ष 2012 कहलायेगी।

2–**प्रकृति**–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) **''अधिशासी अधिकारी''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **''बोर्ड''** का तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई के बोर्ड से है।

(घ) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ङ) **''नगर पालिका''** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद हरदोई से है।

(च) **''नगर पालिका की सीमाओं''** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) **''विज्ञापन''** से तात्पर्य किसी ऐसे पत्र, पत्रांक, सूचना पोस्टर, कपड़े के बैनर, कागज के छोटे पोस्टर चिपकाने वाले, साइन बोर्ड या अन्य किसी ऐसे पक्ष से है जो विज्ञापन के लिये प्रस्तुत की गई है जिससे स्टेनसिल के छापे लिखे हुये या रंगीन तथा वे तस्वीरे और रेखा चित्र भी सम्मिलित है जो इस हेतु बनाये गये है।

(ज) **''भवन''** से तात्पर्य घर, दुकान या छप्पर अथवा अन्य छत्तेदार निर्माण चाहे वे किसी भी विधि से बनायी गयी हो तथा इसके प्रत्येक भाग, जिसमें बाहरी दीवारों घेरा या भवन के किसी भाग से है, जिसमें विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

(झ) **''व्यक्ति''** में वे सभी सम्मिलित है जो विज्ञापन कार्य करने के लिये नियुक्त किये तथा फर्मो या कम्पनी/कम्पनी मालिक, स्वामी प्रतिनिधि, साझेदार या प्रबंधक आदि जिनके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया हो।

4–कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद बिलग्राम की सीमा के भीतर किसी स्थान या भवन पर अथवा वाहन पर कोई विज्ञापन जिसका उल्लेख ऊपर नियमावली में किया गया है प्रदर्शित करने, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये बिना अधिशासी अधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न ही लगवायेगा और न लगवाने का अधिकारी है।

5–नगर पालिका परिषद बिलग्राम की सीमा के भीतर किसी स्थान के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र निश्चित स्थान, घर के दो स्पष्ट मानचित्रों में प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री या बनाये जाने वाली तस्वीर की प्रतियां, विज्ञापन का आकार तथा जिनसे समय के लिये आज्ञा मांगी गयी हो इस उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिये जो उसमें तथा स्थान उपयुक्तता आदि को देखते हुये अशिष्टता,

उत्तेजनात्मकता तथा दृष्टिकोण से विज्ञापन के आपत्तिजनक चरित्र की जांच करने के पश्चात् लिखित जाँच-पड़ताल करके अस्वीकृति आवेदन-पत्रों पर अस्वीकृति के कारण अंकित किये जायेंगे।

6–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को जनहित में रद्द कर दे या काट दें या रोक दे ऐसी दशा में शुल्क का यथोचित भाग उनके द्वारा वापस किया जायेगा।

7–नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई की सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति के खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार किया गया व्यय नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 6 के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जावेगा जिसके लिये या जिसका विज्ञापन करने के लिये यह लगवाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़वाया जाये तो अधिशासी अधिकारी संबंधित लोगों को इसके लिये सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेंगे।

8–**उपरोक्त नियम पांच के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–**

(क) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के कार्यो हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करवाये या लगवाये जाये।

(ख) ऐसा साइनबोर्ड जो संबंधित दुकान/मकान के नाम की सूचना देता हो।

(ग) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक विज्ञापन।

9–**दर/शुल्क**–इन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक आज्ञा के स्वीकार किये जाने पर लिखित शुल्क अग्रिम जमा करना होगा–

क्र0सं0	विवरण आकार		वार्षिक कर	मासिक कर	दैनिक कर
1	2	3	4	5	6
1	साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड/बोर्ड/होर्डिग	18'×8'	1,000.00	100.00	4.00
	ग्लोसाइन बोर्ड उन बोर्ड को कहा जायेगा जो अन्दर की	8'×6'	750.00	75.00	3.00
	ओर से विद्युत प्रकाशित हो या इलेक्ट्रानिक डिवाइस के	8'×4'	500.00	50.00	2.00
	माध्यम से प्रकाशित हो, दुकानों/ प्रतिष्ठानों पर लगे साइन बोर्ड/ग्लो साइन बोर्ड पर नियमावली लागू नहीं होगी जिस पर दुकानदारों का नाम लिखा हो।	3'×2'	4.00	40.00	1.50
2	वाल पेन्टिग	तदैव	300.00	100.00	2.00
3	टी गार्ड	यूनिट	100.00	50.00	2.00
4	बैनर	यूनिट	100.00	50.00	2.00
5	रेलिंग पर (नगर पालिका की जो प्रस्तावित है)	यूनिट	100.00	20.00	2.00

साइन बोर्ड का आकार 10'×3' से बड़ा नहीं होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 21'×3' से अधिक नहीं होगा तथा सड़क के धरातल से 12 फिट के ऊँचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

10—यदि नगरपालिका यह आभास करती है कि प्रदर्शित विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध है तो नगर पंचायत उसे हटा देगी।

11—दुकानों के आगे नाम पट्टिका लगे बोर्ड एवं सामाजिक संदेश देने वाले विज्ञापन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

12—किसी प्रकार के विज्ञापन जो नगर पालिका शुल्क जमा कर लगवाने की अनुमति व्यक्तियों/संस्थाओं/कम्पनियों ने प्राप्त कर ली है। ऐसी विज्ञापन नहीं लगवाया जा सकता जो मनुष्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो, दूसरे व्यक्तियों के प्रति घृणा उत्पन्न करती हो या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर ऐसा कोई उद्बोधन करती हो जो विवाद उत्पन्न कर सकता है।

13—नगर सीमान्तर्गत लगाये गये टी गार्ड/नगरीय शासकीय सम्पत्ति/रैलिंग पर विज्ञापन लगाने से पूर्व यह सिद्ध करना होगा कि वह सद्भाव पूर्ण, आचरणसंग एवं नैतिकतापूर्ण है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों से लगाया जा रहा है। उपरोक्त के सम्बन्ध में संख्या निर्धारण का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पंचायत, मोहन उन्नाव में निहित होगा।

14—अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद बिलग्राम में यह अधिकार निहित होगा कि प्रस्तावित नियमावली से भिन्न किसी प्रकार के विज्ञापन शुल्क के सम्बन्ध में नियम सम्मत शुल्क का निर्धारण कर सकता है

15—नगरपालिका परिषद, बिलग्राम नगर सीमान्तर्गत विज्ञापन दाता व्यक्त्यों/संस्थाओं/ कम्पनियों तथा नगर पालिक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद बिलग्राम का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो अन्तिम होगा।

16—नगर पालिका/जिला प्रशासन/चुनाव आयोग या राज्य सरकार के द्वारा हटाये गये विज्ञापनों की क्षतिपूर्ति देय न होगी।

17—ग्लो साइन बोर्ड/पेड़ों/विद्युत पोलों/ट्रान्सफार्मर के खम्भों पर किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं किये जायेगें। क्यिास्क पट प्रत्येक खम्भे पर दो (आगे/पीछे) से अधिक नहीं लगाये जायेंगे। दो बैनरों के बीच की दूरी 1 फुट अनिवार्य होगी तथा क्रास द रोड बैनर लगाया जाना प्रतिबन्धित है एवं बैनर की साइज 4'1 मीटर से अधिक नहीं होगा।

18—उपरोक्त शर्तो में परिवर्तन-परिवर्धन करने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, जनपद हरदोई में निहित होगा।

19—शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत शासनादेश मान्य होंगे तथा नियमावली उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

हबीब अहमद,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0 बिलग्राम/2019–20–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद बिलग्राम ने संकल्प संख्या 04 दिनाकः 13 सितम्बर, 2019 अपनी सीमा के अन्तर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण करने एवं उनसे कार्य करवाने के उद्देश्य ''ठेकेदारी नियमावली'' बनायी है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय महत्व दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नही हुये है इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एत्द द्वारा उक्त नियमावली नगर पालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

नियमावली

1–**संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति**–यह उपनियमावली संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सा0प्रा0एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) (जे) (डी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम ने सीमा में नगर के विकास के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं के विधिवत् संचालन हेतु ठेकेदारी पंजीकरण उपनियमावली बनायी है। जोकि शासकीय नगरपालिका परिषद, बिलग्राम की समिति की बैठक में स्वीकृतोपरान्त गजट में प्रकाशनोपरान्त नगर विकास के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु प्रवृत्त होगी। यदि पूर्व में इस सम्बन्ध में कोई नियमावली लागू है तो वह इस सीमा तक से संशोधित समझी जायेगी।

2–**परिभाषायें**–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपनियमावली में:

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 (सं0प्रा0एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''नगर'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद, बिलग्राम से है;

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य उल्लिखित उपनियमावली में यथा स्थान प्रदर्शित शुल्क से है;

(घ) ''नगरपालिका/नगर पालिका' से तात्पर्य नगर पंचायत मोहा जनपद-उन्नाव से है;

(ङ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगरपालिका के अध्यक्ष/प्रशासक से है;

(च) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई से है।

(छ) ''समिति'' गठित/निर्वाचित समिति से है।

(ज) ''प्राविधिक अधिकारी'' से तात्पर्य नगर विकास, जिला प्रशासन एवं नगर पंचायत समिति से नामित अधिकारी से है।

3–**विस्तार**–यह उपनियमावली नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं पर लागू होगी। इस उपनियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार, फर्म एवं निदेशक उद्योग, लघु उद्योग आदि विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र धारी विद्युत ठेकेदार आदि। जो इस उपनियमावली की अन्य शर्तो को पूरा करते हैं, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, हरदोई में निविदायें डालने हेतु अधिकृत होंगे।

4–**अभिप्राय**–पंजीकृत सभी अकेले अविभाजित हिन्दू परिवारों या भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्म, सार्वजनिक एवं निजी लिमिटेड कम्पनी जो सही ढंग से पंजीकृत हो, हेतु खुला है यद्यपि अविभाजित हिन्दू परिवारों सभी सार्वजनिक एवं निजी कम्पनी की दशा में कोई एक व्यक्ति विभाग से प्रत्येक जिम्मेदारी पूर्ण सम्पर्क हेतु अधिकृत होना चाहिये। ऐसे अधिकृत व्यक्ति अविभाजित हिन्दू परिवार फर्म सार्वजनिक तथा कम्पनी पर मान्य होंगे।

5–**कार्यो का वर्गीकरण**–ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित कार्यो के वर्गीकरण के अनुसार किसी एक/समस्त वर्गो हेतु की जायेगी–

(क) भवन निर्माण/भूमि विकास/सड़क, नाला, नाली आदि निर्माण कार्य

(ख) सेनीटेशन एवं जलापूर्ति कार्य

(ग) विद्युतीकरण कार्य

(घ) कूड़ा प्रबन्धन आदि कार्य

6–ठेकेदारों का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणियों हेतु अलग-अलग किया जायेगा

(क) प्रथम श्रेणी ठेकेदार

(ख) द्वितीय श्रेणी ठेकेदार

(ग) तृतीय श्रेणी ठेकेदार

किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया ठेकेदार उसी श्रेणी में या उससे निम्न श्रेणी/श्रेणियों में निविदा/निविदाओं में भाग लेगा। (प्रपत्र 'क' के अनुसार)

7–**ठेकेदार की योग्यता**–किसी भी श्रेणी/वर्ग में पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रेषित करने वाला प्रार्थी निम्नलिखित शर्तो को पूरा करेगा :

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिये;

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् हैसियत एवं चरित्र प्रमाण-पत्र फोटोयुक्त होना चाहिये; तथा वैधता शासनादेश के अन्तर्गत है।

(ग) प्रार्थी आयकर दाता होना चाहिये;

(घ) प्रार्थी व्यापार कर में पंजीकृत होना चाहिये;

(ङ) प्रार्थी स्वयं तकनीकी योग्यता रखता हो या उसके पास आवश्यक तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारी होना चाहिये;

(च) प्रपत्र 'ख' के अनुसार प्रार्थी के पास सफलतापूर्वक कार्यो को सम्पादित कराने का अनुभव होना चाहिये तथा पर्याप्त कार्य सम्बन्धी उपकरण होने चाहिये;

(छ) क्रमांक-5 (क) को छोड़कर शेष कार्य हेतु क्रमांक 3 के अनुसार प्रमाण-पत्र देना होगा।

8–**प्रार्थना-पत्र प्रेषण की विधि**–(1) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ नियम संख्या 9 में दर्शायी गयी धनराशि के अनुसार मूल रसीद, जो कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मोहान, उन्नाव में जमा की गई हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(2) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र 'ग' पर दर्शाये गये योग्यता के अनुसार निर्धारित फार्म पर आवश्यक दस्तावेज के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिये–

(क) प्रार्थी की स्वयं की तकनीकी योग्यता, प्राप्त कर्मचारी का हलफनामा, प्रमाण-पत्र।

(ख) आयकर प्रमाण-पत्र एवं व्यापार कर प्रमाण-पत्र।

(ग) प्रपत्र 'ख' के अनुसार अनुभव प्रमाण-पत्र;

(घ) फर्म के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में 'पार्टनरशिप डीड एवं पंजीकरण की सत्यापित प्रति एवं कम्पनी के नाम प्रार्थना-पत्र प्रेषण की दशा में 'डीड ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन' संलग्न करना अनिवार्य है।

(ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् चरित्र प्रमाण-पत्र साझेदारी की दशा में प्रत्येक साझीदार को चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा;

(च) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत नवीनतम् आर्थिक स्थिति हेतु हैसियत प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 'ज' के अनुसार)

नोट–हैसियत प्रमाण-पत्र बन्धक मुक्त होगा तथा मुख्तारनामा हैसियत प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। कार्य वर्गीकरण के अनुसार स्वयं के पास उपलब्ध उपकरणों का विवरण शपथ-पत्र पर देना होगा।

9–**पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क**–प्रार्थी को पंजीकरण प्रार्थना-पत्र हेतु निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा, जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा;

प्रथम श्रेणी–	रु0	2,000.00	5,000.00
द्वितीय श्रेणी–	रु0	1,500.00	3,000.00
तृतीय श्रेणी–	रु0	1,000.00	2,000.00

10–**कार्यालय जहाँ प्रार्थना-पत्र जमा किया जायेगा**–ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपाकिा परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई के यहाँ जमा किये जायेंगे।

11–**पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी**–विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी प्रपत्र 'घ' में दर्शाये गये है, जिनका निर्णय किसी भी विवाद की दशा में अन्तिम होगा।

12–**सामान्य जमानत धनराशि**–(क) चयनित ठेकेदारों को प्रपत्र 'च' में दर्शाई गई धनराशि के अनुसार सामान्य जमानत पंजीकरण सूचना प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त समय में वृद्धि प्रदान किये जाने का अधिकार प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा, परन्तु किसी भी दशा में समयावृद्धि एक माह से अधिक प्रदान नहीं की जायेगी। निर्धारित अवधि तक जमानत धनराशि जमा न किये जाने की दशा में पंजीकरण स्वयं निरस्त समझा जायेगा एवं इस सम्बन्ध में कोई विचार उस वित्तीय वर्ष में नहीं किया जायेगा।

(ख) सामान्य जमानत धनराशि प्रपत्र 'च' के अनुसार डाकघर में 'फिक्स डिपाजिट' अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र जो 5 साल से कम अवधि के न हो, रूप में जमा की जायेगी।

(ग) उक्त क्रिया के पश्चात् ठेकेदार/फर्म नगर पालिका में निविदा डालने हेतु अधिकृत होगी, जिसके लिये उसे निविदा धनराशि के सापेक्ष प्रदर्शित धरोहर राशि को जमा करना होगा तथा कार्य स्वीकृति के पश्चात् जमा धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुये 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करनी होगी, यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसके भुगतान

बीजकों से शेष जमानत की पूर्ति कर ली जायेगी। जो अन्तिम भुगतान तिथि से एक वर्ष पश्चात् गुणवत्ता के परीक्षणोपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर वापस की जायेगी अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

(घ) किसी निविदा स्वीकृति के पश्चात् यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित अवधि में अनुबन्ध कराकर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जाता है, तो उस ठेकेदार की जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त करते हुये काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(च) सक्षम अधिकारी किसी भी कार्य में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान किये जाने की दशा में (जैसे कार्य का समय से पूर्ण न होना, कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानक से निम्न स्तर का होना इत्यादि) उस ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि में से कटौती करके पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपनी पंजीकरण में से कटौती करके पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी दशा में ठेकेदार को अपना पंजीकरण चालू रखने हेतु एक माह में उक्त धनराशि अपने सामान्य जमानत धनराशि में जमा करनी होगी।

(छ) ठेकेदार की सामान्य जमानत धनराशि उसकी पंजीकरण समाप्त आदेश के छः माह के भीतर विमोचित कर दी जायेगी।

13–**पंजीकरण प्रक्रिया**–समस्त प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के अनुसार नामांकन करके निरीक्षण किये जायेंगे, तत्पश्चात् सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अपनी संस्तुतियों एवं आदेश हेतु प्रेषित किये जायेंगे। सक्षम प्राधिकारी अपना अनुमोदन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच किसी प्रार्थना-पत्र पर करवा सकता है। पूर्णतया सन्तुष्ट होने के पश्चात् प्राधिकारी पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों द्वारा आवश्यक जमानत जमा करवा दिये जाने की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान करेंगे। यदि संस्तुति अधिकारी/प्राधिकारी किसी प्रार्थना-पत्र से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, तो वह समिति के अध्यक्ष को उन कारणों को अवगत कराते हुए प्रार्थना-पत्र निरस्त कर सकते है।

सभी प्रार्थना-पत्र प्राप्ति से मात्र 3 माह के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। तीन माह में अन्तिम आदेश न हो पाने की स्थिति में प्रार्थना-पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

14–**विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की सूची का रख-रखाव**–कार्यालय नगर पालिका विभिन्न श्रेणी वर्ग के ठेकेदारों की अलग-अलग सूची प्रपत्र 'छ' में तैयार करके सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।

15–**पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना**–अधिशासी अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु संस्तुति ठेकेदारों की सूची के अनुमोदनोपरान्त समस्त औपचारिताएं पूर्ण कराकर ठेकेदारों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रपत्र 'ज' के अनुसार निर्गत किया जायेगा।

16–**प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि**–प्रत्येक श्रेणी/वर्ग के ठेकेदारों हेतु जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र उसी वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा, जिसमें वह निर्गत किया गया हो।

17–**प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण**–पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने से दो माह पूर्व ठेकेदार को प्रपत्र 'झ' के अनुसार प्रार्थना-पत्र अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को प्रेषित करना होगा। तत्पश्चात् आवश्यक जांचोपरान्त अधिशासी अधिकारी द्वारा नये पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जो अगले एक वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु ठेकेदारों को हैसियत चरित्र प्रमाण-पत्र, आय कर एवं व्यापार कर की क्लीयरेन्स प्रस्तुत करनी होगी। नवीनीकरण शुल्क प्रथम रु0 5,000.00, द्वितीय रु0 3,000.00, तृतीय रु0 2,000.00 देय होगा।

18–**प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति**–पंजीकरण प्रमाण-पत्र खो जाने पर अथवा नष्ट हो जाने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र की प्राप्ति ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित फीस जमा करने पर निर्गत की जायेगी;

प्रथम श्रेणी हेतु	–	रु0 3,000.00
द्वितीय श्रेणी हेतु	–	रु0 2,000.00
तृतीय श्रेणी हेतु	–	रु0 1,000.00

19–**पंजीकरण की कुल अवधि**–समस्त वर्ग/श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण की कुल अवधि पंजीकरण चालू वित्तीय वर्ष से 31 मार्च से होगी अर्थात 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी एवं पुनः फार्म/ठेकेदार नये सिरे से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20–**ठेकेदारों के पंजीकरण का निरस्तीकरण**–ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु समिति के अध्यक्ष के पास पंजीकरण आदेश को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। परन्तु इस प्रकार के किसी निरस्तीकरण से पूर्व ठेकेदार को ''कारण बताओ नोटिस'' पन्द्रह दिवस का देना होगा ताकि प्रश्नगत ठेकेदार प्राधिकारी को अपनी परिस्थितियों/कारणों की व्याख्या कर सके–

(क) कार्यो का मानक के अनुसार न होना।

(ख) कार्यो का निविदा अनुबन्ध में निर्धारित समय से पूर्ण न कराया जाना।

(ग) ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार के गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

(घ) योजना से सम्बन्धित किसी अधिकारी/कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया जाना।

अधिशासी अधिकारी क्रियान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करेंगे। ऐसे प्रत्येक आदेश का अन्तिम अनुमोदन अध्यक्ष, नगरपालिका/जैसी स्थिति हो द्वारा किया जायेगा।

21–**निरस्तीकरण की सुनवाई**–किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त किये जाने पर वह नगरपालिका समिति में इस प्रकार के आदेश के 'खिलाफ सुनवाई हेतु प्रार्थना-पत्र कर सकता है, परन्तु केवल उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायेगा, जो निरस्तीकरण आदेश के एक माह की अवधि में प्रेषित किये गये हो, एवं साथ में रु0 500.00 जमा कर, रसीद मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

22–निर्माण कार्य करने के बीच में यदि कोई ठेकेदार कार्य अपनी इच्छा से बन्द करे या जानबूझ कर विलम्ब करना चाहता हो और ऐसा अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी या प्रशासक को विदित हो जाय, सन्तुष्ट हो तो ठेकेदार के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार को किये गये अधूरे निर्माण कार्य का भुगतान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को किसी भी अन्य ठेकेदार से पूरा करवाया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में भी ऐसे अधूरे निर्माण कार्य को पंजीकृत ठेकेदार में से किसी भी एक ठेकेदार से पूर्व स्वीकृत दरों से ही निर्माण कार्य करवाया जायेगा। अन्यथा निर्माण कार्य के लिये नियमानुसार पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।

23–प्रत्येक ठेकेदार को निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त जानकारी निर्माण स्थल का निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में टेण्डर देने से पूर्व पूर्णरूप से प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

24–निर्माण कार्यो के आकलन (प्राक्कलन) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव उ0प्र0 पा0का0लि0 या अन्य संस्थाओं जो जिले के लिये अधिकृत मान तालिका के अनुसार ही नगरपालिका के लिये अधिकृत प्राविधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी, अधिकारी (अवर अभियन्ता) द्वारा निर्मित होंगे तथा किसी भी कार्य के करवाने में स्वीकृत मान तालिका में वर्णित दरों, स्वीकृत निविदा के अन्तर्गत ही ठेकेदारों को भुगतान किया जायेगा।

25–निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय या निर्माणाधीन स्थिति में कार्यरूप निर्माण में परिवर्तन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी/प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित होगा। ठेकेदार की इच्छा से स्वीकृत प्लान से बाहर या किसी प्रकार परिवर्तन किये जाने की स्थिति में वर्णित किसी भी विहित प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को ठेकेदार के जोखिम दरों या जुर्माना, परन्तु जुर्माने की धनराशि स्वीकृत निर्माण कार्य की लागत का 10 प्रतिशत तक ही होगी, निर्धारित कर या तो निर्माण कार्य तुड़वा देगा या रहने दिया जायेगा। ठेकेदार को स्वेच्छा से किये गये निर्माण कार्य का उसको किसी भी दशा में भुगतान नहीं होगा।

26—स्वीकृत निर्माण कार्य में छल, कपट या किसी अन्य प्रकार से ठेकेदार द्वारा अपने हित में जिससे कि उसे अधिक लाभ हो रहा हो या होना पाया जाय, पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व प्राविधिक अधिकारी को लागत निर्माण कार्य का 10 प्रतिशत तक जुर्माना करने का अधिकार होगा और कार्य ठीक करवाने बाबत नोटिस भी जारी किया जायेगा। पुनः अवहेलना करने पर 10 प्रतिशत की कटौती उसके अग्रिम भुगतान या अन्तिम भुगतान बिल में यह काट ली जायेगी जो कि किसी भी स्थिति में उसको देय नहीं होगा।

27—ठेकेदार का निर्माण कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में या निर्माण कार्य के दौरान पूरे उपकरणों, वांछित मात्रा का प्रयोग न करने व पाये जाने पर अध्यक्ष, प्राविधिक अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि तत्काल ही ठेकेदार को नोटिस दे दे या काम रोक दें।

28—ठेकेदार के नाम प्रशासनिक स्वीकृति किसी भी निर्माण कार्य को करवाने के लिये दिये जाने से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को आवश्यक होगा कि वह कार्य को पूरा करने हेतु इकरारनामा वांछित स्टाम्प पेपर पर स्वयं क्रय कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

29—प्रत्येक निर्माण कार्य की धनराशि के अनुसार ही 1 प्रतिशत निविदा मूल्य जमा करने के पश्चात् जैसा कि निविदा सूचना में दिया होगा। ठेकेदार को निविदा प्रपत्र शुल्क का भुगतान करने पर ही देय होगा।

30—यदि किसी ठेकेदार का कार्य एवं आचरण असन्तोषजनक पाया गया या पाया जाय कि ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन किया है या निर्धारित शर्तो का पालन प्राविधिक स्तर से नहीं किया गया है तो उसका नाम ठेकेदारी की अनुमोदित सूची में से काट कर अध्यक्ष उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते है व भविष्य में उसे निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित भी किया जायेगा।

31—ठेकेदार को नगरपालिका के अध्यक्ष, प्रशासक, प्रभारी अधिकारी, अधिकारी अवर अभियन्ता नामित की हिदायतों का पूर्ण पालन करना होगा व ये सभी अधिकारी व प्राविधिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं, त्रुटियों के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकते है, कार्य को घटा या बढ़ा सकते है या वांछित परिवर्तन हेतु लिख सकते है जिसका कि अक्षरक्षः पालन ठेकेदार को करना होगा।

32—निविदा प्रपत्र में वर्णित व उल्लिखित शर्तो का अनुपालन जैसे भी सामूहिक या परिवर्तन की शर्तो का अनुपालन करना अंकित होगा, ठेकेदार को मान्य होगा।

33—नगरपालिका के समस्त निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो के लिये प्रयुक्त उपकरण, साज-सामग्री या निर्माण स्थल पर पायी जाने वाली निर्माण सामग्री पत्थर, ईंट, बजरी आदि यदि पहले से पड़ी हो तो उसका प्रयोग करने की स्थिति में अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसकी कीमत निर्धारित कर ठेकेदार के बिलों में से काट लें, ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि निर्माण स्थल से जो भी उपकरण आदि हटवाने की आवश्यकता होगी और जिसका प्रयोग करना ठेकेदार को जायज न होगा, ऐसे सामान व निकाली हुयी सम्पत्ति को ठेकेदार को कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा ऐसी सामग्री उपकरण आदि की कीमत जो तय की जायेगी, ठेकेदार से वसूल की जायेगी या उसके अग्रिम या नवीनतम बिलों में से काटी जायेगी।

34—निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् किये गये निम्रण कार्य के मूल्य या लागत जिसका कि माप प्राविधिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा व माप पुस्तिका में अंकित होगा, के कार्य का भुगतान जैसा भी उचित समझा जायेगा ठेकेदार की कार्य की प्रगति देने व सुविधा के दृष्टिकोण से अग्रिम भुगतान भी देय होगा।

35—यदि ठेकेदार निर्धारित कार्य को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूरा करके नहीं देता तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि सार्वजनिक निर्माण कार्य/अन्य कार्य, को जनहित में 10 प्रतिशत तक विलम्ब से तैयार करने का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में समय वृद्धि भी दी जानी मान्य समझी जायेगी।

36—प्रत्येक निर्माण कार्य के अन्तिम भुगतान के लिये संस्तुति एवं प्रस्तुतीकरण करने से पूर्व ठेकेदार के द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य के प्राविधिक स्तर से प्राविधिक अधिकारी द्वारा ही कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण मानक के अन्तर्गत आंगणन में दी गयी विशिष्टियों के अन्तर्गत हुआ है, ने इस आशय का प्रमाण-पत्र दे दिया हो, प्रमाण-पत्र के अभाव में अन्तिम भुगतान बिल को प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली जोयगी और न ही भुगतान देय होगा।

37—कार्य ठीक पाये जाने, रहने या टूट-फूट न होने की स्थिति में कार्य के निमित्त जमा की गयी जमानत की धनराशि जो कि ठेकेदार द्वारा या बिलों के माध्यम से 10 प्रतिशत काटी गयी धनराशि तभी ठेकेदार को देय होगी जबकि उसकी अवधि एक वर्ष की न हो जाये। एक वर्ष की अवधि से तात्पर्य ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किये जाने की तिथि से मानी जायेगी। निर्माण कार्य ठीक न रहने व टूट-फूट होने की स्थिति में जमा जमानत राशि तभी देय होगी जब तक कि ठेकेदार ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। अन्यथा ऐसी समस्त मरम्मत कार्य नगर पंचायत द्वारा प्राविधिक अधिकारी के नेतृत्व में करवा दिया जावेगा या धरोहर/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

38—उप नियमावली की उपरोक्त किसी भी उपधारा किसी प्रकार संशोधन नगर पालिका की समिति में संकल्प पारित के उपरान्त ही किया जायेगा, प्रतिबन्ध होगा कि निर्धारित शुल्क में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।

39—लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नियमावली के यदि कोई बिन्दु इसमें छूटा हो तो मान्य होगा।

40—अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देश मान्य होंगे।

41—देयक से नियमानुसार काटी जाने वाली आयकर, वाणिज्य कर, खनिज आदि की कटौती मान्य होगी।

42—समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत आदेश फर्म/ठेकेदार पर लागू होंगे।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 (सं0प्रा0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

प्रपत्र-(झ)

पंजीकरण/सुनवाई सम्बन्धी, नवीनीकरण, सत्यापित प्रति हेतु

प्रार्थना-पत्र

सेवा में

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद

बिलग्राम जनपद हरदोई।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं/हम नगर विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ठेकेदारी हेतु पंजीकरण की सुनवाई/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति की सत्यापित प्रति हेतु आवेदन करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में

मैं/हम ठेकेदारी हेतु पंजीकरण सम्बन्धी समस्त योग्यताएं/औपचारिकतायें पंजीकरण नियमावली के अनुसार पूर्ण करते हैं।

मैं/हम स्वेच्छा से घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित किसी भी तथ्य के गलत होने पर मेरा/हमारा नाम ठेकेदारों की पंजीकरण सूची से निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक-निर्धारित आवेदन फीस की मूल रसीद।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर,
(नाम व पता)

प्रपत्र-'क'

विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत किये गये ठेकेदारों द्वारा निविदा डालने हेतु कार्यो की अधिकतम लागत सीमा :

क्र0सं0	वर्ग प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1.	भवन निर्माण/भूमि एवं सड़क, नाला, नाली आदि कार्य	किसी भी सीमा तक	रु0 25.00 लाख तक	रु0 15.00 लाख तक
2.	सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य	किसी भी सीमा तक	रु0 20.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक
3.	विद्युतीकरण कार्य	किसी भी सीमा तक	रु0 20.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक
4.	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य	किसी भी सीमा तक	रु0 25.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक

प्रपत्र-'ख'

पंजीकरण हेतु गत तीन वर्षो में सन्तोषजनक कार्य सम्पादित कराये जाने के अनुभव सम्बन्धी ठेकेदार की योग्यता :

क्र0सं0	वर्ग	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1.	भवन निर्माण/भूमि विकास कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य	रु0 30.00 लाख तक	रु0 20.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक
2.	सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य	रु0 15.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक	रु0 5.00 लाख तक
3.	विद्युतीकरण कार्य	रु0 15.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक	रु0 5.00 लाख तक
4.	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य	रु0 15.00 लाख तक	रु0 10.00 लाख तक	रु0 5.00 लाख तक

प्रपत्र-'ग'

पंजीकरण हेतु न्यूनतम तकनीकी योग्यता

क्र0सं0	वर्ग	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1.	भवन निर्माण/भूमि विकास कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य	डिप्लोमा/योग्य अवर अभियन्ता	अवर अभियन्ता	अवर अभियन्ता
2.	सेनेटरी एवं जल आपूति कार्य	लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार	लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार	लाइसेन्स प्लम्बर उ0प्र0जल निगम द्वारापंजीकृत ठेकेदार
3.	विद्युतीकरण कार्य लाइसेन्सी	विद्युत अधिष्ठान लाइसेन्सी	विद्युत अधिष्ठान लाइसेन्सी	विद्युत अधिष्ठान
4.	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य	उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म	उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म	उद्योग, लघु उद्योग आदि से पंजीकृत फर्म

टिप्पणी–यदि उपरोक्त दर्शायी गई तकनीकी योग्यताएं ठेकेदार स्वयं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसे हलफनामा के स्थान पर अपनी योग्यता का सत्यापित प्रमाण-पत्र/लाइसेन्स जमा करना होगा।

प्रपत्र-'घ'

पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी

क्र0सं0	वर्ग सक्षम प्राधिकारी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	भवन निर्माण/भूमि एवं सड़क निर्माण कार्य	अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत मोहान	अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत मोहान	अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत मोहान
2	सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
3	विद्युतीकरण कार्य	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–
4	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य।	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–

टिप्पणी–ठेकेदारों का पंजीकरण समस्त श्रेणी, वर्गो हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा नगर पंचातय द्वारा अग्रसारित एवं संस्तुति किये जाने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

प्रपत्र-'च'

पंजीकरण हेतु सामान्य जमानत धनराशि

क्र0सं0	वर्ग	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	भवन निर्माण/भूमि विकास कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य	रु0 20,000.00	रु0 15,000.00	रु0 10,000.00
2	सेनेटरी एवं जल आपूति कार्य	रु0 15,000.00	रु0 10,000.00	रु0 5,000.00
3	विद्युतीकरण कार्य	रु0 15,000.00	रु0 10,000.00	रु0 5,000.00
4	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य	रु0 15,000.00	रु0 10,000.00	रु0 5,000.00

टिप्पणी–उपरोक्त धनराशि डाकघर में ''फिक्स डिपाजिट'' अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र (न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि हेतु (अधिशासी अधिकारी) नगर पंचायत के नाम बन्धक होगी।

प्रपत्र 'छ'

ठेकेदारों के पंजीकरण सम्बन्धी सूचना का रख-रखाव

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	पंजीकरण	श्रेणी	वर्ग	अवधि	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-'ज'

नगर पालिका परिषद, बिलग्राम, जनपद हरदोई में ठेकेदारी हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....पुत्र..... निवासी..... को वर्ग .....श्रेणी से नगर विकास कार्य ..... के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है, यह प्रमाण-पत्र दिनांकः ..... से 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा।

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद,

बिलग्राम, हरदोई।

प्रपत्र 'झ'

पंजीकरण हेतु निम्नतम धनराशि का हैसियत प्रमाण-पत्र

क्र0सं0	वर्ग	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
1	भवन, निर्माण/भूमि विकास कार्य एवं सड़क निर्माण कार्य	रु0 25.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 20.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 10.00 लाख या इससे ऊपर
2	सेनेटरी एवं जल आपूर्ति कार्य	रु0 5.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 3.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 2.00 लाख या इससे ऊपर
3	विद्युतीकरण कार्य	रु0 5.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 3.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 2.00 लाख या इससे ऊपर
4	कूड़ा प्रबन्धन हेतु आदि कार्य	रु0 5.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 3.00 लाख या इससे ऊपर	रु0 2.00 लाख या इससे ऊपर

टिप्पणी–(1) हैसियत प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया होना चाहिये। हैसियत प्रमाण-पत्र नवीन बन्धक मुक्त, हलफनामा के साथ संलग्न करना होगा तथा मुख्यतारनामा हैसियत प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) जिला/नगर प्रशासन/शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक स्तर पर ठेकेदारों/ फर्मो को करना होगा तथा उसके अनुसार पंजीकरण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई

ठेकेदार का नाम– पिता का नाम– विषय–ठेकेदारी पंजीकरण

पता– स्टेशनरी मूल्य 500रू0 दिनांक.....

रसीद सं0..... क्रमांक.....

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई

ठेकेदार के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 2016-17

उ0प्र0 नगर पालिका (पालिका) अधिनियम 1916 की

धारा 298 (2) (जे) (डी)के अन्तर्गत

सेवा में,

अध्यक्ष,

नगर पालिका परिषद्, बिलग्राम,

जनपद हरदोई।

महोदय,

मैं/हम .....में ठेकेदार के पंजीकरण हेतु वर्ग..... श्रेणी..... में आवेदन करना चाहता/चाहते हैं। मैंने/हमने निर्धारित फीस रुपया.....रसीद सं0..... द्वारा जमा कर दिया है, जो मूलरूप में संलग्न है।

पंजीकरण हेतु निर्धारित विवरण निम्नलिखित है–

1–(क) आवेदक का नाम/व्यक्ति/फर्म/कम्पनी.....

(ख) व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पता.....

(ग) दूरभाष नम्बर यदि हो.....

2–(क) व्यक्ति की राष्ट्रीयता.....

(ख) फर्म/कम्पनी के पंजीकरण का स्थान.....

3–आवेदक/फर्म/कम्पनी का वर्तमान व्यवसाय.....

4–क्या किसी बिल्डर संस्था के सदस्य हैं, यदि हां तो संस्था का नाम एवं सदस्यता प्राप्त की तिथि.....

.....

5–पावर ऑफ अटारनी प्राप्त व्यक्तियों के नाम.....

(पावर ऑफ अटारनी की सत्यापित प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।

6–साझेदारों के नाम एवं फर्म में साझेदारी का हिस्सा.....

(पार्टनर शिप डीड की सत्यापित प्रति)

7–क्षेत्र जिसमें आवेदक कार्य करना चाहता है.....

8–आवेदक का पूर्ण अनुभव

(क) कार्यो के नाम.....

(ख) कराये गये कार्यो का लागत.....

.....

(ग) कार्य सम्पादन का वर्ष.....

(घ) विभाग का नाम जिसमें कार्य कराये गये हैं.....

(विभागीय अनुभव प्रमाण-पत्र/सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

9–(क) ठेकेदार के पास कार्यरत तकनीकी कर्मचारी की योग्यताएं एवं अनुभव.....

(ख) निर्माण विकास कार्यो सम्बन्धी मशीनरी ट्रान्सपोर्टर इत्यादि का विवरण.....

कार्य इनकम यदि कोई हो तो विवरण एवं स्थान.....

10–यदि आवेदक का स्वयं किसी वर्ग हेतु तकनीकी.....

योग्यता रखता हो तो सम्बन्धित योग्यता का सत्यापित प्रमाण–पत्र एवं विवरण.....

11–यदि आवेदक कहीं अन्य कार्यो हेतु भर्ती है तो उसके विभाग का नाम एवं स्थान.....

.....

12–यदि आवेदक किसी अन्य विभाग में पंजीकृत फर्म में हिस्सेदार है तो उसका सम्पूर्ण विवरण.....

.....

13–(क) आवेदक स्वयं अथवा उसकी संस्था कितने वर्षों से इस पदनाम में कार्यरत हैं.....

(ख)क्या आवेदक पूर्व में कोई कार्य पूर्ण करा पाने में असमर्थ रहा है, तो कहां और क्यों.....

.....

प्रमाण-पत्र

(क) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम नगर विकास योजना कार्यक्रम में ठेकेदारी हेतु किसी एक नाम से ज्यादा पंजीकरण नहीं करायेंगे।

(ख) मैं/हम उपरोक्त वर्णित विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर इस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने वाले अधिकारी को तुरन्त सूचित करेंगे।

(ग) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त समस्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है एवं इनमें कोई भी तथ्य गलत आने पर मेरा/हमारा नाम उक्त योजना कार्यक्रम से निरस्त किया जा सकता है।

(आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता)

महत्वपूर्ण टिप्पणी–

(1) सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र के साथ प्रमाणित कराकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) एक से अधिक वर्ग में पंजीकरण हेतु इच्छुक पृथक् से आवेदन-पत्र प्रेषित करेंगे।

(3) रु0 100.00 के स्टाम्प पर अभिलेखों की सत्यता के क्रम में शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित करना होगा।

हबीब अहमद,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0 बिलग्राम/2019-20–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद, बिलग्राम ने संकल्प संख्या 04 दिनाक 13 सितम्बर, 2019 अपनी सीमा के अन्तर्गत नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश सं0 2221/नौ-5-18-352स/2016, नगर विकास अनुभाग-5, दिनांक 29 जून, 2018 में निहित उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति में जारी मार्गदर्शी निर्देशों को समाहित करते हुए तथा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव विनियमन उपविधि नियमावली'' बनायी है, जिससे उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय महत्व" दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एत्द द्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव विनियमन उपविधि नियमवाली

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–(1) यह उपविधि "न0पा0परि0 बिलग्राम (हरदोई) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनियमन उपविधि 2018" के नाम से प्रभावी होगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई के सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि बोर्ड के प्रस्ताव सं0 7 (2) दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 होने एवं 'उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक' से नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमा में लागू माना जायेगा।

2–परिभाषायें–जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में–(1) अधिनियम का तात्पर्य 'उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916' से वर्णित धराओं से है।

(2) अधिशाषी अधिकारी का तात्पर्य 'नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई के अधिशाषी अधिकारी से है।'

(3) नगरपालिका परिषद का तात्पर्य 'नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई की सीमा से है।

(4) अध्यक्ष का तात्पर्य 'नगरपालिका परिषद, बिलग्राम के अध्यक्ष' से है।

(5) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समुनिदेशित हो।

3–खुले में कचरा फेंकनें, पब्लिक न्यूसेस उपलब्ध करने व स्वच्छ वातावरण में व्वयधान–व्यक्ति(अपशिष्ट उत्पादक व अन्य) ठोस अपशिष्ट को सडकों पर, परिसर के बाहर , खुले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा नालियों या जल निकायों में न तो फेकेगा और न गाडेगा।

(1) न0प0परि0 बिलग्राम सीमार्न्तगत सार्वजनिक जगह/सडक/खुलेमें या जल निकाय या नाला/नाली में कूडा या कचरा फैलाने/फेंकने/गाढने पर न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) से 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(2) सड़क पर यत्र/तत्र थूकने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(3) सड़क व फुटफाथ/खुले में नहाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(4) सडक व फुटफाथ/खुले में मूत्र त्याग करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) से 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(5) सड़क व फुटफाथ/खुलेमें शौच करने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपयें) से 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(6) जानवरों/पशुओं/पक्षियों को पालिका /सड़क फुटफाथ पर बांधने/खड़ा करने पर अर्थदण्ड शुल्क 100.00 (एक सौ रुपये) से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(7) सडक/फुटफाथ पर कपडे धोने अथवा अन्य इसी तरह की गंदगी फैलाने पर अर्थदण्ड शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपयें) प्रति प्रकरण।

4–कचरा पृक्ककरण, सग्रंहण–अपृथक्कीकृत कचरा उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड–

(1) घरेलू–रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रथम बार में एंव द्वितीय बार में रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) तृतीय बार में रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(2) बल्क जनरेटर–रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) से 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

(3) अजैविक कचरे को पृथक्कीकृत रूप मे न उपलब्ध कराने पर जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 100.00 (एक सौ रुपये) से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

(4) खाद, मांस अपशिष्ट को पृथक्कीकृत करके न उपलब्ध कराने पर अर्थदण्ड व जुर्माना रु0 1,500.00 (पन्द्रह सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

5–मरे हुए बड़े जानवर (पालतू) उठाने पर शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

6–मरे हुए छोटे जानवर (पालतू) उठाने पर शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

7–कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद को सूचित किये बिना किसी भी अनुज्ञापित स्तर पर 100 से जयादा लोगों का न तो कोई समारोह आयोजित करेगा और न ही उन्हें एकत्र करेगा। शादी अथवा विवाह समारोह आदि से उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई हेतु शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

8–प्रत्येक सड़क/फेरी विक्रेता अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान उत्पन्न हुए अपशिष्ट के भाडारण हेतु उपयुक्त कूड़ादान हरा व नीला पृथक-2 अपने पास रखेगा एवं यथा भोज्य-डिस्पोजेबल प्लेटस, कपस, केन्स, बचा हुआ भोजन, सब्जियों व फल आदि और इन्हें नगरीय निकाय द्वारा अधिकृत स्थलों एवं डिपों अथवा वाहनों में डालेगा।

विभिन्न प्रकार के चाट/फल/रेवडी के ठेलों आदि पर सूखा एवं गीला कचरा पृथक-2 एकत्रिकरण हेतु डस्टबिन/कूडादान नही पाये जाने पर अर्थदण्ड/शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपये) प्रति प्रकरण।

9–नगरपालिका के सीमान्तर्गत खुले में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा/कचरा जलाये जाने पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देषों के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु न्यूनतम जुर्माना/अर्थदण्ड रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) से 5,000.00 (पांच हजार रुपये) (साधारण क्षति पर) एंव बल्क मात्रा में कूडा जलाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) से 10,000.00 (दस हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

10–निर्माण एवं ध्वंस जनित अपशिष्ट स्वंय के परिसर में एकत्रित किया जायेगा तथा इसके निस्तारण हेतु मलवा निस्तारण शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति वाहन-प्रति प्रकरण।

11–सड़क /फुटफाथ के किनारे अवैध रूप से निर्माण सामग्री-मौरगं, बालू, ईट, एवं ध्वंसा अपशिष्ट आदि पाये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रूपये) से (10,000.00 (दस हजार रुपये) प्रति प्रकरण।

12–नालियों व फुटफाथ के ऊपर अतिक्रमण सड़क किनारे अवैध गुमटी खोखा इत्यदि व सड़क के किनारे फुटफाथ पर दुकानों का सामान फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रतिदिन प्रति प्रकरण।

13–डोर-टू-डोर कूडा कलेक्सन नगरपालिका परिषद, बिलग्राम द्वारा यूजर चार्ज के रूप में–

(1) घरेलू(10 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मी0 तक के मकानों पर) शुल्क रु0 50.00 प्रति माह।

(2) घरेलू (300 वर्ग मी0 से ज्यादा के मकानों पर) शुल्क रू0 100.00 प्रति माह।

(3) व्यवसायिक प्रतिष्ठान–दुकान , ढाबा , स्वीटहाउस , काफी शाप, आदि रु0 200.00 प्रति माह।

(4) गेस्टहाउस रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह।

(5) हास्टल– रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

(6) होटल/रेस्टोरेंट (बिन श्रेणी) से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

(7) होटल/रेस्टोरेंट (3 स्टार श्रेणी) से रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति माह।

(8) होटल/रेस्टोरेंट (5 स्टार श्रेणी) से रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये) प्रति माह।

(9) व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा, कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शिक्षण संस्थान– रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

(10) प्राईवेट अस्पताल, क्लीनिक, डिस्पेंसरी एवं लैबोरेटरी– रु0 1000.00 (एक हजार रुपये) से रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) प्रति माह।

(11) छोटी एंव घरेलू औद्योगिक वर्कशाप (हानिकारक रहित कचरा) प्रतिदिन 10 किग्रा0 कचरा उत्पदान रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति माह।

(12) गोदाम, कोल्ड स्टोर (हानिकारक रहित कचरा) रु0 1,000.00 (एक हजार रूपये) से 5,000.00 (पांच हजार रूपये) प्रति माह।

(13)मैरिजहाल, फेस्टिवल हाल, मेला एंव प्रर्दशनी 3000 वर्ग मी0 तक क्षेत्रफल में रू0 1,000.00 (एक हजार रूपये) से रू0 5,000.00 (पांच हजार रूपये) प्रति कार्यक्रम।

(14) उपरोक्त में अंकन से छूटे हुए अन्य श्रेणी के कचरा उत्पादक पालिका अधिशासी अधिकारी निर्देशानुसार आरोपित किया जायेगा।

(15) नगर पालिका परिषद सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालयों प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 2.00 प्रति एवं टायलेट/शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज 5.00 रु0 प्रति व्यक्ति लिया जायोगा।

(16) नगर पालिका परिषद बिलग्राम सीमान्तर्गत खुले में शौच/मल/मूत्र त्याग करते पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 250.00 (दो सौ पचास रूपये) प्रति व्यक्ति तथा पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति।

(17) नगर पालिका परिषद्, बिलग्राम सीमान्तर्गत महापुरूषों की प्रतिमाओं के पार्क/डिवाईडरों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने पर जुर्माना शुल्क 500.00 (पांच सौ रुपये) देय होगा।

(18) शासन द्वारा जारी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसरण में नगर पालिका परिषद्, बिलग्राम सीमार्न्तगत पालीथीन बैंगों के उत्पादन/विक्रय एंव उपयोग पर रु0 1,000.00 से रु0 50,000.00 (एक हजार रुपये से पचास हजार रुपये) तक का जुर्माना प्रति प्रकरण।

(19) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत पालिका की सड़क व सम्पत्ति आदि पर निम्न कार्य किये जाने पर जुर्माना शुल्क देय होगा।

(1) सड़क पर कूड़ा फेकना रु0 200.00

(2) थूकान रु0 100.00

(3) नहाना रु0 100.00

(4) पेशाब करना रु0 200.00

(5) जानवरों को चारा आदि खलाने पर रु0 200.00

(6) कपड़े आदि धोने पर रु0 100.00

(7) सडक/सार्वजनिक स्थानों आदि पर अतिक्रमण के रूप में वाहन खड़ा करने पर रु0 500.00

(21) नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम सीमान्तर्गत घरों व होटलों/संस्थाओं आदि से गीला व सूखा कूडा व जैविक कूडा अलग-अलग न देने पर जुर्माना शुल्क क्रमशः रु0 100.00 व रु0 500.00 देय होगा,जो कि प्रति सप्ताह होगा।

(22) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत निमार्ण एंव विध्वंस से निकलने वाले मलबे को प्रथक रूप से निस्तारण न करने पर तथा सार्वजनिक रूप से सड़क व पालिका की सम्पत्ति पर फैलाने पर रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) से रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना शुल्क देय होगा।

(23) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत कूडा जलाने पर रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) से रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपये) तक का जुर्माना शुल्क देय होगा।

(24) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत गैर आवासीय क्षेत्रों जैसे मछली/मुर्गा/मीट आदि दुकानों से निकलने वाला कूडा अलग-अलग न देने पर रु0 200.00 (दो सौ रुपये) से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) तक जुर्माना शुल्क देय होगा।

(25) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत पट्टी दुकानदारों/फेरीवालों/दुकानदारों आदि के द्वारा कूड़ेदान न रखे जाने पर रु0 200.00 (दो सौ रुपये) से रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) जुर्माना शुल्क देय होगा।

(26) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत घरों व दुकानों के सामने से निकलने वाली गलियों/सड़क को स्वच्छ न रखे जाने पर रु0 200.00 (दो सौ रुपये) जुर्माना शुल्क देय होगा। (विशेषकर स्वयं के घर व दुकान के सामने)

(27) नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम सीमान्तर्गत पालिका की सड़क व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत पालतू पशुओं के द्वारा शौच करने व कूड़ा आदि फैलाने पर रु0 500.00 जुर्माना शुल्क देय होगा।

(28) नगरपालिका परिषद, बिलग्राम सीमान्तर्गत समस्त प्रकार के मैरिज हाल/गेस्ट हाउस/व संस्थान पर कार्यक्रम के संचालन के उपरान्त सफाई न कराये जाने पर 500.00 (पांच सौ रुपये) जुर्माना शुल्क देय होगा।

नगर पालिका परिषद्, बिलग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं विनिमय उपविधि, 2018 में उल्लिखित शुल्क जुर्माना/अर्थदण्ड सम्बन्धित द्वारा पालिका को समय से अदा करने की स्थिति में उसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थान से भू-राजस्व की भांति करने का अधिकार पालिका में निहित होगा।

हबीब हसन,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, बिलग्राम, हरदोई

19 अक्टूबर, 2020 ई0

सं0 43/न0पा0परि0 बिलग्राम/2020-21—शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (ज0)/90 न0वि0अनु0-9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दिनांक 27 अक्टूबर, 1994, शासनादेश संख्या 2806/नौ-9-94-204 (ज0)/90 न0वि0अनु0-2 उ0प्र0 शासन, लखनऊ दि0 31 दिसम्बर, 1994 एंव नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम समिति की बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2019 के संकल्प संख्या 04 तथा संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके एवं पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 128 ए बी उपधारा (1) के साथ 13 सी है। नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम ने अपनी सीमा के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर निर्धारण नियमावली बनायी है। जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अन्तर्गत आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु हिन्दी दैनिक "राष्ट्रीय महत्व" दिनांक 18 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं इस नियमावली से पूर्व यदि कोई नियमावली इससे सम्बन्धित प्रचलित है तो इस सीमा तक संशोधित या निरस्त समझी जायेगी।

अतः एत्दद्वारा उक्त नियमावली नगरपालिका में सदन की स्वीकृति अथवा गजट प्रकाशन के दिनांक से नगरपालिका क्षेत्र की सीमा में प्रभावी होगी।

सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर निर्धारण के सम्बन्ध में नियमावली

1—**संक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और पृवत्ति—**(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण लेखों पर कर उगाहने से सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी।

(2) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगी जब से नगरपालिका बिलग्राम के अन्दर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाया जायेगा।

(3) नगरपालिका बिलग्राम में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर लागू होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय या भाग में प्रतिकूल खाते न होने पर ये नियमावली में–

(क) ऐक्ट का तात्पर्य यू0पी0 म्यू0 ऐक्ट 1916। यू0पी0 ऐक्ट सं0 2, 1916 से है।

(ख) नगर का तात्पर्य नगर पालिका परिषद बिलग्राम से है।

(ग) शुल्क का तात्पर्य इण्डियन स्टाम एक्ट 1899 (एक्ट संख्या 2 सन् 1889) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के किसी लेख पर लगाया गया शुल्क से है।

(घ) इण्डियन स्टाम एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबन्ध में यथा संषोधित इण्डियन स्टाम ऐक्ट, 1899 से है।

(ङ) अध्यक्ष का तात्पर्य "नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, हरदोई" के अध्यक्ष से है।

(च) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य "नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जनपद हरदोई" के अधिशासी अधिकारी से है।

(छ) कर का तात्पर्य एक्ट की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (13ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3–नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से किसी भी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मुख्य पर अथवा भोगबन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4–कर लगाने की प्रक्रिया उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गई समस्त धनराशि प्रासंगिक व्ययों को यदि कोई हो काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

(1) जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का कोई भी दस्तावेज निबन्धन के लिये प्रस्तुत किया जाये तो निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्त की धारा 27 में निर्दिष्ट ब्यौरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् दिये गये है।

[क] नगर के भीतर स्थित सम्पत्ति।

[ख] नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति।

(2) यदि ऐसे ब्यौरे दस्तावेज में पृथक्-पृथक् व दिये गये हों तो निबन्धन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा 128 क की उपधारा (4) धारा नगरपालिकाओं पर यथा प्रदत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5–कर के लेखे रखना–निबन्धक/समन्वयक निबन्धक अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक लेखे रखेगा जिसमें वह शुल्क व कर दिखायेगा।

6–निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करे और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 (एक्ट सं0 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करे राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

7–निबन्धक अथवा सहायक निबन्धक अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण-पत्र तैयार करेगा जिससे वह शुल्क और कर के रूप अपने द्वारा वसूली की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबन्धक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने की पॉचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8–जिला निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनॉक तक तिमाही विवरण पत्रों की प्रतिलिपियॉ निम्नलिखित को भेजेगा।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम धारा 1916 यू0पी0 एक्ट सं0 2, 1916 की धारा 128ए की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 126 की उपधारा (1) के साथ 13 सी0 के नगर पालिका बिलग्राम में स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण है लेखा पन्नों पर उगाया गया अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का.....जिला .....से सम्बन्धित विवरण–

मदों का नाम	वैध पन्नों की कुल संख्या	यू0पी0 म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 128 ए की उपधारा (स) के साथ पठित धारा 126 की उपधारा (1) के 13 सी है के अन्त उगाही गयी धनराशि।	कुल उगाहा गया शुल्क

(क) निबन्धक महासचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(ख) अपर सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, प्रयागराज।

(ग) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, हरदोई।

(घ) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

9–(क) नगरपालिका की ओर से उगाही गयी कर की धनराशि ऐसे प्रासंगिक व्ययों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जावे, काट लेने के पश्चात् प्रत्येक तिमाही के अन्त में नगरपालिकाओं को लौटा दी जायेगी। प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के फाइनेंसियल हैंडबुल खण्ड 5 भाग के प्रपत्र संख्या 19 में दो प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव बिल स्वीकृति किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी। जो स्वीकृति बिल के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(ख) नगरपालिका निबन्धक और स्टाम्प विभाग के कर्मचारियों को ऐसा मासिक/पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगा। जो नगरपालिका के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10–अभिलेखों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर की उगाही और नगरपालिका को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबन्धक कार्यालय बिलग्राम के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है। यू0पी0 म्युनिसिपैलिटी 1916 की धारा 299 (1) द्वारा पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जिला हरदोई निर्देश देती है कि उक्त उपविधियों के उल्लंघन करने पर जुर्माना भी होगा, जो नियमतः रु0 500 तक हो सकता है तथा दोषी की अवशेष धनराशि 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा लगातार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

शास्ति

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटी, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा 299 (1) द्वारा पूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, बिलग्राम, जिला हरदोई निर्देश देती है कि उक्त उपविधियों के उल्लंघन करने पर जुर्माना भी होगा, जो नियमतः रु0 500 तक हो सकता है तथा दोषी की अवशेष धनराशि 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा लगातार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

हबीब अहमद,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
बिलग्राम, हरदोई।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, सहसवान (बदायूं)

28 अगस्त, 2020 ई0

सं0 1273/XXIII/2020-21—नगरपालिका परिषद्, सहसवान, जनपद बदायूं संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1) व 126(10) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये न0पा0परि0 सहसवान, जनपद बदायूं नगर की सीमा में स्थित सभी मकानों, इमारतों या भूमियों पर गृहकर निर्धारित हेतु पूर्व में लागू संख्या 408/नौ-10-63ल/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9, दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190-द्विरा0वि0आ0/04, नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर सीमान्तर्गत समस्त व्यवसायिक दुकानों पर लाइसेंस शुल्क लिये जाने हेतु नियमावली वर्ष 2020 बनाये गये हैं। नगरपालिका ऐक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी एवं संज्ञान के लिये प्रकाशित किया गया था। प्रभावित व्यक्ति इस उपविधि के प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं इसे दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" में दिनांक 29 अगस्त, 2020 को प्रकाशित कराया गया था। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति ना आने के उपरान्त यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगी।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर नगरपालिका परिषद्, सहसवान, जनपद बदायूं अपनी सीमान्तर्गत "लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली" निर्धारण संग्रह उपविधि बनायी है। उपविधि का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 300(1) के अधीन समस्त नगरवासियों को आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त कराये जाने के उद्देश्य से उपविधि की पाण्डुलेख को प्रकाशित किया जाता है जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 3, दिनांक 17 अगस्त, 2020 द्वारा निर्णय लिया गया है कि निमित्त उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली

1—**शीर्षक**—यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, सहसवान, जनपद बदायूं "लाइसेंसिंग व अन्य शुल्क सम्बन्धी नियमावली, वर्ष 2020 कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश, नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 से है।

(ख) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सहसवान के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सहसवान के बोर्ड से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सहसवान के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) **"नगरपालिका"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् सहसवान से है।

(च) **"नगरपालिका की सीमाओं"** से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमाओं से है।

(छ) **"लाइसेंसिग अधिकारी"** से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, सहसवान के अधिशासी अधिकारी से है।

4—कोई भी दुकान व अन्य व्यवसाय नियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं चला सकेगा और उपनियम के लागू होने के पूर्व से चल रही समस्त व्यवसायों के लाइसेंसिंग उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5—लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए होगी।

6—प्रत्येक व्यक्ति/व्यवसायी के लिए आवश्यक होगा कि निम्नलिखित तालिका में निर्धारित की गई धनराशि शुल्क के रूप में अदा करके लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे।

7—लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि लाइसेंस प्राप्तकर्ता नगरपालिका परिषद्, सहसवान कार्यालय में जमा कर सकता है अथवा अधिकृति कर्मचारी को भुगतान करके रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक दुकानदार व अन्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बांटों व मापों का प्रयोग करेंगे।

8—केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य कोई विधि निहित संस्था के द्वारा तालिका में वर्णित व्यवस्थाओं के नियंत्रण हेतु लाइसेंस से भिन्न होगा।

9—ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी छूत की बीमारी से पीड़ित है, उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा। ऐसा किसी उल्लिखित व्यवसाय में सहायक अथवा नौकर भी नहीं रखा जायेगा।

10—नगरपालिका प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी समय भी दुकान के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं और दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

11–अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी लाइसेंस निर्गत कर सकता है।

12–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे संबंधित व्यवसाय के समकक्ष व्यवसाय मानकर सभी लाइसेस शुल्क लिया जायेगा।

13–इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व प्रभावी, दुकान व वाहन लाइसेंस उपनियमावली की शुल्कों की दरें निरस्त हो जायेगी।

14–वाहनों के लाइसेंस न होने पर अथवा चेंकिग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर उसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देगें तथा जानवर वाली गाड़ियों के जानवर भी बन्द किये जा सकते हैं।

15–उपनियम की शर्तों में संशोधन बोर्ड भी कर सकती हैं व शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय जारी किये जा सकते हैं।

16–नगरपालिका समिति यदि आवश्यक समझे तो नीलामी/निविदा के आधार पर लाइसेंस शुल्क की वसूली इन्हीं शर्तों के अधीन या जैसा समिति निर्धारित करे, करा सकती है :

क्रमांक	मद का नाम	निकाय द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस की दरें
1	2	3
		रु0
	(अ) होटल रेस्टोरेन्ट	
1	रेस्टोरेन्ट	1,000.00
2	होटल	2,000.00
	(ब) नर्सिंग होम	
1	नर्सिग होम	5,000.00
2	प्रसूत गृह (20 बेड तक)	5,000.00
3	प्रसूत गृह (20 बेड से ऊपर)	8,000.00
4	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
5	पैथालाजी सेन्टर	1,000.00
6	एक्सरे क्लीनिक	2,500.00
7	डेन्टल क्लीनिक	1,000.00
	(स) परिवहन	
1	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	2,500.00
2	ट्रान्सपोर्ट (वाहन सहित एजेन्सी)	5,000.00
3	आटोरिक्शा 2 सीटर	50.00
4	आटोरिक्शा 7 सीटर (टैम्पो)	100.00
5	आटोरिक्शा 4 सीटर	50.00
6	मिनी बस	1,000.00
7	मोटर गैराज	500.00
8	स्कूटर/2 पहिया वाहन गैराज/रिपेयरिंग शॉप/रिपेयर्स स्पेयर्स पार्टस	1,000.00
9	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स सर्विस)	5,000.00
10	स्कूटर एजेन्सी (2 पहिया, 3 पहिया)	4,000.00
11	साइकिल की दुकान	1,000.00
	(द) पेट्रोलियम	
1	दुकान मिट्टी का तेल	1,000.00
2	दुकान डीजल	2,000.00
3	पेट्रोल पम्प डीजल थोक (ऑयल कम्पनी) डिपो/पम्प	5,000.00
4	जनरेटर डीजल सेट (किराये पर)	800.00
5	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1,000.00
	(य) अन्य व्यवसाय	
1	आटा चक्की (स्पेलर/पालेसर), धान मशीन व अन्य फैक्ट्री	1,000.00
2	ड्राई क्लीनर्स	2,000.00
3	साबुन फैक्ट्री	1,000.00
4	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा एस्टेड वाटर फैक्ट्री	2,000.00
5	गुड़ गोदाम	1,000.00

1	2	3
		रु0
6	केकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा	5,000.00
7	चूना	500.00
8	ईंट का भट्ठा	5,000.00
9	जूता बनाने का कारखाना/दुकान	500.00
10	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईंट, बालू थोक मोरंग टाईल्स हार्डवेयर	2,000.00
11	बिजली के सामान के विक्रेता, छोटे-बड़े	2,000.00
12	कपड़ा थोक व्यापारी/फुटकर	4,000.00
13	चाय के थोक/फुटकर विक्रेता	1,000.00
14	नट फैक्ट्री	200.00
15	खाल तथा बाल उतारने वालों पर	1,000.00
16	केटरिंग	1,500.00
17	बेकरी (पावर)	1,500.00
18	बेकरी (भट्टी)	1,500.00
19	ब्यूटी पार्लर	1,000.00
20	कुकिंग गैस एजेन्सी	5,000.00
21	जनरल मर्चेन्ट थोक	2,000.00
22	कोयला थोक विक्रेता	4,000.00
23	कोयल फुटकर विक्रेता	2,000.00
24	पान की दुकान	500.00
25	मसाला/पान मसाला कारखाना/फैक्ट्री	5,000.00
26	पेन्ट दुकान	1,000.00
27	छोटे ज्वैलर्स	5,000.00
28	बड़े ज्वैलर्स	10,000.00
29	विज्ञापन एजेन्सी	5,000.00
30	डेरी फार्म	2,000.00
31	भूसा (थोक विक्रेता)	2,000.00
32	भूसा (फुटकर विक्रेता)	1,000.00
33	ऑडियो लाइब्रेरी	1,000.00
34	वीडियो लाइब्रेरी	1,000.00
35	किराये पर विद्युत सजावट की दुकान	2,000.00
36	आर्किटेक्ट, कंसलटेंट विधि चार्टेट अकाउंट, कास्ट अकाउंट	4,000.00
37	केबिल टी0वी0	2,000.00
38	फाइनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	4,000.00
39	इंश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	8,000.00
40	फाउन्डिंग, इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रीयल	1,000.00
41	पशु वध, स्लाटर हाउस, प्रति पशु (बकरा, बकरी आदि)	50.00
42	अनाज, तिलहन, चीनी, खांडसारी (फुटकर विक्रेता)	2,000.00
43	अनाज, तिलहन, चीनी, खांडसारी (थोक विक्रेता)	4,000.00
44	आइस फैक्ट्री	500.00
45	टेन्ट की दुकान (टेन्ट हाउस)	5,000.00
46	दाल, चावल व बड़ी तेल की मिलें (फैक्ट्री)	5,000.00
	(र) दुकान	
1	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (फुटकर)	500.00
2	जनरल मर्चेन्ट की दुकान (थोक)	2,000.00
3	न्यूज पेपर	1,000.00
4	लकड़ी की टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1,000.00
5	लकड़ी की दुकान (फुटकर) Plywood	2,500.00
6	टिम्बर मर्चेन्ट/आरा मशीन	10,000.00

1	2	3
		रु0
7	रेडियोमैकेनिक/टी0 वी0 मरम्मत/मोबाइल रिपेयरिंग	1,000.00
8	टी0वी0 शाप/इलेक्ट्रानिक वस्तुए/मोबाइल शॉप	3,000.00
9	फर्टिलाइजर शाप	2,000.00
10	प्लास्टिक फैक्ट्री	4,000.00
11	प्लास्टिक टैडर्स	1,000.00
12	मिठाई की दुकान छोटी/बड़ी	2,000.00
13	चाट/मसाला की दुकान	1,000.00
14	ड्राईफ्रूट थोक विक्रेता	1,000.00
15	ड्राइफ्रूट फुटकर विक्रेता	500.00
16	गैस फिलिंग प्लान्ट	10,000.00
17	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
18	मसाले थोक विक्रेता	5,000.00
19	मसाले फुटकर विक्रेता	2,000.00
20	देशी शराब प्रति दुकान	5,000.00
21	विदेशी शराब प्रति दुकान	10,000.00
22	मुर्गा/बकरा मांस की दुकान/मछली की दुकान	2,000.00
23	फर्नीचर की दुकान/शोरूम	5,000.00
24	फर्नीचर विक्रेता	2,000.00
25	क्राकरी विक्रेता फुटकर	2,000.00
26	ऑप्टिकल सेंटर/चश्में की दुकान	1,000.00
27	फुटवेयर (चप्पल/जूते की दुकान)	1,000.00
28	अन्य फुटकर सामग्री विक्रेताओं की दुकान	500.00 से 1,000.00
29	प्रिन्टिंग प्रेस, फोटो स्टूडियो, कम्प्यूटराइज्ड कार्य दुकानदार	1,000.00
30	लोहे की चादर, बक्सा, ट्राली, शटर, इलेक्ट्रिक वर्क्स की दुकान	2,000.00
31	आतिशबाजी के विक्रेता	2,000.00
32	मेडिकल स्टोर, अंगेजी व देशी यूनानी होम्योपैथिक आदि	2,000.00
	(ल) पशुपालन	
1	कांजी हाउस/गौशाला में बन्द गौवंशीय आवारा पशु	—
2	प्रति जुर्माना कांजी हाउस/गौशाला में बन्द (छोटे पशु)	200.00
3	प्रति जुर्माना कांजी हाउस/गौशाला में बन्द (बड़े पशु)	500.00
4	कांजी हाउस में बन्द प्रति खुराक प्रतिदिन छोटे जानवर (बकरी आदि)	50.00
5	कांजी हाउस में बन्द प्रति खुराक प्रतिदिन छोटे जानवर (गाय, भैंस, घोड़े आदि)	100.00
	(व) अन्य	
1	किसी भी कम्पनी के टावर	12,500.00
	विलम्ब शुल्क सभी दुकानों के कारखानों पर प्रतिमाह रु0 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।	

भारित

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद्, सहसवान, जनपद बदायूं यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1,000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। और यदि ऐसा उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो तो रु0 50.00 (पचास रुपये) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जोयगा।

राम सिंह,
अधिशासी अधिकारी,
न0पा0परि0 सहसवान।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद

17 जुलाई, 2020 ई0

सं0 743/न0पा0परि0का0/2020-21—उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 443/नौ-9-14-277ज/11 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ, दिनांक 23 अप्रैल 2014 एवं निदेशालय, स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-8/3097-सा0/लखनऊ, दिनांक 30 मई 2014 के क्रम में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128 की उपधारा-2 और धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, कायमगंज (फर्रूखाबाद) सीमान्तर्गत विज्ञापन शुल्क का निर्धारण और वसूली उपविधि, 2019 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त उपविधि का बोर्ड प्रस्ताव संख्या 8(1), दिनांक 14 जुलाई 2020 द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति के पश्चात् धारा 301 के अन्तर्गत दैनिक समाचार-पत्र ''राष्ट्रीय सहारा'' के अंक दिनांक 19 जुलाई 2020 तथा दैनिक समाचार-पत्र ''आज'' के अंक दिनांक 19 जुलाई 2020 तथा दिनांक 22 जुलाई 2020 में प्रकाशन कराकर उक्त उपविधि के किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे। अतः उक्त उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है तथा यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि का विवरण निम्नवत है—

उपविधि

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद विज्ञापन शुल्क निर्धारण और वसूली उपविधि, 2019 कही जायेगी।

(2) यह नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की सीमा में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—

(i)—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(दो) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करनें, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(तीन) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान व्यक्ति लोक निष्पादन वस्तु या वाणिज्यिक माल जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीत अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों, और द्वारों के वाहर किसी भी रीति, जो भी हो से संप्रदर्शित हो और उक्त सतह या संरचना या किसी भी भवन से संलग्न हो उसका भाग हो या उससे संयोजित हो या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे स्क्रीन वाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

(चार) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

(पाँच) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी विन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

(छः) ''पताका'' (Banner) का तात्पर्य ऐसे किसी भव्य वस्तु से है, जिस पर कोई प्रतिकृति का चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते है।

(सात) ''पताका'' विज्ञापन का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है, जिसमें पताका या झण्डी विज्ञापन के रूप में किया जाता है।

(आठ) ''नगरपालिका'' से तात्पर्य यथा स्थिति नगरपालिका परिषद्, कायमगंज से है।

(नौ) ''विद्युतीय विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है, जिसमें विद्युतीय सजावटों के प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते हैं।

(दस) ''भू-विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि या किसी खम्भे स्क्रीन बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो।

(ग्यारह) ''प्रदीप्त विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थाई या अन्यथा हो और जिसकी कार्य प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

(बारह) ''शामियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से वाहर निकलता हुआ हो और उससे अवलम्वित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से वाहर की ओर हो।

(तेरह) ''प्रक्षेपित विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिली मीटर से अधिक वाहर की ओर हो।

(चौदह) ''मार्गाधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है।

(पन्द्रह) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

(सोलह) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस उपविधि में संलग्न अनुसूची से है।

(सत्रह) ''प्रतीक'' संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसे संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्वित हो।

(अठारह) ''शुल्क'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2)के खण्ड (7) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है।

(उन्नीस) ''अस्थाई'' विज्ञापन का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारित प्रदर्शनों सहित किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र कैनवास कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।

(बीस) ''बराण्डा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बराण्डा से सम्बद्व उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है।

(इक्कीस) ''सचल विज्ञापन'' से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।

(ii) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हो।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन–

(1) अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊंचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए नगरपालिका परिषद्, कायमगंज, जनपद फर्रूखाबाद में समिति का गठन निम्नवत् है।

(2) समिति में निम्नलिखित होगें:–

(एक) अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
(दो) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित प्राधिकारी	सदस्य

(तीन) परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी	सदस्य
(चार) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(पाँच) नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
(छः) परिवहन विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
(सात) सचिव विकास प्राधिकरण	सदस्य
(आठ) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
(नौ) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(दस) निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य

टिप्पणी–(i) अधिशासी अधिकारी किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकेगा जो उनकी राय में तत्समय उचित होगा।

(ii) स्थल चयन हेतु उपरोक्त वर्णित सदस्यों में से वही सदस्य सहयोजित होंगे जिनका विभाग तत्समय जिला मुख्यालय स्तर पर स्थापित होगा।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टो की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिषेध–

(1) अधिशासी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी भी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे–

भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, न चिपकाने, न लिखने, न चित्रित करने या न लटकाने देगा। यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य मार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 16 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नही किया जायेगा।

5–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया–

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज को निर्धारित धनराशि का भुगतान करके नगरपालिका परिषद्, कायमगंज के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा, या सम्बन्धित निकाय के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊंचाई और भार को दर्शाते हुए पूर्ण विशिष्टियां अवस्थिति जहां इसे विनिर्मित किया जाना है, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता और जहां प्रयोज्य हो वहां प्रकाश पुंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थित मानचित्र में संलग्न होगा।

(ख) पूर्ववर्ती के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरिक स्थानों के समस्त घटक और यदि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा अपेक्षित हो, तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेंगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा अपेक्षित हो।

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

3–यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा :

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचनाओं के आकार का विवरण।

(ख) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना, अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना संगणनाओं सहित अधिशासी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित, संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 संरचना अभिकल्प धारा-1 भार बल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना, या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रख-रखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6–अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें–

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निर्बन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, कि :

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्भृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्नक विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 06 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नही होंगी।

(ड़) विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देगें या उसे मिटा देगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों यदि कोई हों जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो के प्रकाश और वातायान में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलंबित कर दे, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

(ठ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ड़) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा प्रदान की गई लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्तन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरूद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज प्रत्येक स्थल के लिए न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहरबन्द लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध करानें के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिये।

8–आवंटन समिति–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की अध्यक्षता में निकाय में एक आंवटन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(एक) निकाय में यातायात का प्रभारी	सदस्य
(दो) निकाय से सम्बन्धित अवर अभियन्ता (सिविल)	सदस्य
(तीन) निकाय में विज्ञापन प्रभारी अधिकारी/कर अधीक्षक	सदस्य सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं व प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदन करेगी।

(3) देय शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा नगरपालिका परिषद्, कायमगंज को अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन शुल्क की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रति-भूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेंगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन शुल्क विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री गार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार–

नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृति किया जा सकता है।

(क) आवेदन-पत्र में आपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हों या वह इस नियमावली के अनुरूप न हों।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगरपालिका परिषद्, कायमगंज के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील/नग्न रेखा-चित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोक नीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो। ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 128 में निर्दिष्ट सम्पत्तिकर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने लगाने, चिपकाने, लिखाई करने या हस्तांतरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा।

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(दो) निविदा आमन्त्रित करने के द्वारा।

11–अनुज्ञा की अवधि–

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिये, ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति–

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है, लटकाया जाता है, या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो, या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो, तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है। और जमा प्रतिभूति से निम्न लिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है।

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(दो) ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी/यातायात

सांकेतिक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गई धनराशि को नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा सम्बन्धित विभाग को परिस्थिति अनुसार अन्तरित कर दिया जायेगा।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन–

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, प्रदर्शित, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, न ही चिपकाया जायेगा, लिखा नही जायेगा, न ही चित्रित किया जायेगा या लटकाया जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भू-तल से ऊपर 02 मीटर से कम हो।

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो।

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(चार) नियम-3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल, विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, के लिये अनुपयुक्त हो।

(पांच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो।

(छ) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो, जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो।

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों शैक्षिणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्व क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण, या स्थानीय प्राधिकरण, या लोक निर्माण विभाग, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन वोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरण द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न, व्यवधान उत्पन्न हो।

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र, झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो या इसलिए परिसंकटमय हो।

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होंगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधाने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट हैं सम्मिलित हैं, या जो उनके द्वारा प्रदीप्त हैं।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससें चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वाले की दृष्टि बाधित होती हो या जिससें किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससें कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–

(1) किसी भवन का छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है।

(2) नियम 6 और नियम 13 के अधीन रहते हुये किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई ऐसे भवन की ऊँचाई की एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

15–विज्ञापन पट्टों के प्रकार–

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन।

(ख) भू-विज्ञापन।

(ग) छत विज्ञापन।

(घ) बरामदा विज्ञापन।

(ङ) दीवार विज्ञापन।

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन।

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन।

(ज) आकाशीय विज्ञापन।

(झ) पताका/झण्डी विज्ञापन।

(ञ) शामियाना विज्ञापन।

(ट) गुब्बारा विज्ञापन।

(ठ) अस्थायी विज्ञापन।

(ड) सचल (मोवाईल) विज्ञापन।

(ढ) विविध विज्ञापन।

16–दुकानों पर विज्ञापन–

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की पूर्व अनुमति के बिना और शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना, दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जायें तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन करादेय होगी।

17–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन।

(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन।

(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जक्शनों पर विज्ञापन।

(4) यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड।

(5) मैदानों/पगडण्डियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ।

(6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स (Flower Pot Stands)।

18–छूट–

इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायें किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनी, बस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित हों परन्तु यह 1.2 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देशः

(आठ) राजमार्ग विज्ञापन पट्ट।

19–अस्थाई विज्ञापन–

(1) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जो अनुसूची (2) के अनुसार हो, शुल्क के भुगतान पर अस्थाई विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने अनुज्ञा प्रदान कर सकते है।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो, अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

20–विशेष नियन्त्रण का क्षेत्र–

(1) जब अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुंचने या उसके विरूपित होने की सम्भावना हो तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा आवश्यक समझा जाये। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज निकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्व ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, कायमगंज को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम चलाये जा रहे, साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ''ज्वेलर्स'', ''कैफे'', ''डान्सिंग'' या भवन के प्रवेश की स्थिति की सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नही होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से 30 मी0 दूरी के भीतर उपनियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यता कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नही होगा।

21–निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा–

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करें।

22–झण्डियों पर रोक–

(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, संप्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नही करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नही की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबन्धों का उल्लघंन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी रू0 200.00 (दो सौ रुपये) से कम नहीं होगी।

(4) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज का नाम इस नियम से निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनष्ट कर सकता है।

23–अनुरक्षण और निरीक्षण–

(1) अनुरक्षण–सभी विज्ञापन जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था–प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्त्तव्य और उत्तर दायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण–प्रत्येक विज्ञापन जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो, और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचाग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

24–प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति–

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जांच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु :

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी के युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

25–शुल्क के भुगतान की रीति–

अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक शुल्क एकल किस्त में संदेय होगा और जबतक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

26–क्षेत्रों का वर्गीकरण–

विज्ञापनों पर शुल्क के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर कर वर्गीकरण का विनिश्चय आवंटन समिति द्वारा किया जा सकेगा।

27–विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत–

नियम 10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निकाय द्वारा नियत की जायेगी।

28–अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपवन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु0 5000.00 (पांच हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से जो रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची–2

नियम 25 देखें

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर शुल्क की दरें

1–भूमि, दीवाल और भवन सार्वजनिक, स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए–

वर्गीकरण	देय वार्षिक शुल्क(प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2–यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होगी।

3–(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य सचल विज्ञापन(सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)–

वर्गीकरण	देय वार्षिक शुल्क प्रति वाहन/प्रतिवर्ष
हल्का वाहन	रु0 5,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रु0 20,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक शुल्क प्रति वाहन/प्रतिवर्ष
(1) तीन पहिया	रु0 50 प्रतिदिन
(2) चार पहिया	रु0 500 प्रतिदिन
(3) छः पहिया	रु0 1,000 प्रतिदिन

4–विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक शुल्क/प्रति वर्ग मीटर
प्रवर श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

5–पोस्टर	रु0 300 (प्रति सैकड़ा)
6–परचा	रु0 600 (प्रति सैकड़ा)
7–पताका (बैनर)	रु0 100 (प्रति बैनर)

8–विद्युत या इलेक्ट्रानिक युक्त/परिवर्तनशील सन्देश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्हः

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक शुल्क/प्रति वर्ग मीटर
प्रवर श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

9–गुब्बारे	रु0 500 प्रतिदिन
10–छतरी	रु0 500 प्रतिदिन
11–एक स्तम्भ	उपर्युक्त मद 1 के अनुसार

12–एल0ई0डी0 / एल0सी0डी0 / प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से विज्ञापन पर शुल्क :

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक शुल्क / प्रति वर्ग मीटर
प्रवर श्रेणी	रु0 5,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 4,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
13–अन्य प्रकार के विज्ञापन	उपर्युक्त मद 4 के अनुसार

स्पष्टीकरण–

(1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

(2) स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

(3) शुल्क अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

(4) यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 मास से अधिक नही होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

(5) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है, तो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कायमगंज, निर्देश दे सकता है, कि शुल्क मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

(6) शुल्क के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय छः के अनुसार वसूली योग्य होगें।

प्रपत्र सं0.....
मूल्य रू0...10.00...

अनुसूची-1

[नियम 5(1) देखें]

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1–आवेदक का नाम / विज्ञापनकर्ता का नाम.....

2–आवेदक / विज्ञापनकर्ता के पिता / पति का नाम.....

3–अभिकरण प्रतिष्ठापन, कम्पनी या संस्था का नाम.....

4–पता.....

.....

5–मोबाइल / फोन नं0.....

6–पेनकार्ड नं0.....

7–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार.....

8–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार.....

9–स्थल मानचित्र, सहित स्थल की अवस्थिति.....

10–भूमि भवन, या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम.....

11–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है.....

12–(एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जायें।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करे।

(तीन) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, कायमगंज द्वारा अनुमोदित अभियन्ता द्वारा संरचना को दिया क्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

13–(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक शुल्क.....

(दो) किस्त की धनराशि.....

14–कोई अन्य विवरण.....

.....

संलग्नक– आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक–

अनुसूची-3

(नियम-24)

नगरपालिका परिषद्, कामयगंज सीमान्तर्गत विज्ञापन पट्टों के स्थापन एवं विज्ञापन शुल्क की वसूली हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र0सं0	वर्गीकरण श्रेणी	सम्मिलित वार्ड नं/मोहल्ला/क्षेत्र का नाम
1	प्रवर श्रेणी	18-पटेलपुरम्, 04-अम्बेडकर नगर, 02-शिवाजी नगर, 10-इन्द्रा नगर, 08-संजय पुरम्, 16-नेहरू नगर, 22-गांधी नगर, 03-बाल्मीकि नगर, 09-विवेकानन्द नगर, 17-लोहिया नगर, 21-आजाद नगर।
2	अ श्रेणी	20-सरोजनी नगर, 11-अशोक पुरम्, 07-पन्त नगर, 15-अब्दुल कलाम आजाद नगर, 01-जगजीवन पुरम्।
3	ब श्रेणी	06-गंगा नगर, 19-जाकिर नगर। पालिका सीमा का अन्य क्षेत्र।
4	स श्रेणी	13-लक्ष्मी नगर, 24-श्याम नगर, 25-महावीर नगर, 05-रविदास पुरम्, 14-शाष्त्री नगर, 12-राजीव नगर, 23-सुभाष पुरम्।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, कायमगंज,
फर्रूखाबाद।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर

09 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 519/न0पा0परि0 शेर0/19—संयुक्त प्रान्त उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर अपनी सीमा के अन्तर्गत विज्ञापनों को नियंत्रित/नियमन बनाये रखने के उद्देश्य से एवं शुल्क उद्ग्रहीत करने की व्यवस्था बनाने के वास्ते निम्नवत् उपविधियों का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति बोर्ड से अपेक्षित है। बोर्ड स्वीकृति के उपरान्त धारा 301 (1) के अन्तर्गत किसी स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशन कराकर जनता से आपत्ति सुझाव मांगे जायेंगे। तदोपरान्त धारा 301 (2) के अन्तर्गत शासकीय गजट में अंतिम रूप से प्रकाशन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

विज्ञापन शुल्क उपविधि का प्रारूप वर्ष 2017-18

1—यह उपविधि विज्ञापन शुल्क उपविधि नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर कहलायेगी।

2—(क) ''पालिका'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर से होगा।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर के अधिशासी अधिकारी से होगा।

(ग) ''अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर के अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी से होगा।

(घ) ''बोर्ड अथवा प्रशासक'' का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर के बोर्ड अथवा प्रशासक से होगा।

3—इस उपविधि का प्रसार नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत होगा।

4—''विज्ञापन'' का अर्थ किसी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना से है, जिसका प्रयोग विज्ञापन के क्रम में किया जाये, अर्थात् जिनका प्रयोग प्रचार के प्रयोजन के लिये किया जाये एवं जिसमें लिखे हुये, खडिया के निशान बनाये हुए अथवा चादर या टीन के कटे हुये लिखे लेख और चित्र या पोस्टरों या इलेक्ट्रानिक लेखों, पोस्टरों अथवा सिनेमा स्लाइड जो इस प्रयोजन के लिये बनाये गये, खींचे गये हों, फ्लैक्सी, बैनर आदि से है।

5—भवन/इमारत किसी भी प्रकार के बने हुये ढांचे (स्थायी/अस्थायी) से है, जो किसी भी मैटेरियल से बना हो जिसमें बाहरी दीवार या चाहर दीवारी हो अथवा किसी भवन या भवन जैसे हिस्से हों, अर्थात् होर्डिंग्स, विद्युत/टेलीफोन पोल, पर्दा, दीवार आदि।

6—व्यक्ति का तात्पर्य उससे है जो विज्ञापन करने के लिये नियुक्त किये गये हों तथा फर्म या कम्पनी मालिक (स्वामी), साझीदार या प्रबन्धक आदि जिसके लिये विज्ञापन प्रदर्शित किया गया है।

7—कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर के सीमा के अन्दर किसी भी स्थान अथवा भवन खम्भों पर प्रदर्शित करने एवं प्रचार करने व जनता का ध्यान आकर्षित करने के अधिशासी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विज्ञापन न तो स्वयं लगायेगा और न किसी अन्य व्यक्ति से लगवायेगा।

8–अधिशासी अधिकारी किसी ऐसे अधिकारी के अधीक्षण में (जो निरीक्षक से निम्न स्तर का न हो एवं जिसे अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया गया है) के माध्यम से अभिलेख का रख-रखाव करायेंगे एवं अनुज्ञापन जारी करेंगे।

9–पालिका की सीमा के अन्दर किसी स्थान भवन के उपयोग की आज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र विभिन्न स्थान के दो स्पष्ट नक्शे (नजरी), प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री, बनाई जाने वाली तस्वीर की दो-दो प्रतियां, विज्ञापन का आकार तथा जितने समय के लिए आज्ञा मांगी गयी हो उसके उल्लेख के साथ अधिशासी अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

10–ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी विज्ञापन के विषय आदि की जांच करने के पश्चात् अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेंगे कि नैतिक दृष्टि से उसमें कुछ भी अश्लील, उत्तेजनात्मक, अप्रिय या आपत्तिजनक नहीं है और तब लिखित में अपनी अनुमति प्रदान करेंगे। यदि आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो आवेदन-पत्र अस्वीकृत का कारण अंकित करते हुये वापिस करेगा।

11–उपविधि के अधीन प्रदत्त प्रत्येक अनुज्ञा के लिए विज्ञापन शुल्क की धनराशि नियमानुसार नगरपालिका को अदा करना होगा।

क्र0सं0	आकार फुट में	वार्षिक	मासिक	दैनिक
		रु0	रु0	रु0
1	3×2 से छोटा	1,375.00	125.00	5.00
2	3×2 से छोटा 6×4	2,750.00	250.00	10.00
3	6×4 से छोटा 8×6	4,125.00	375.00	15.00
4	8×6 से छोटा 10×8	6,875.00	625.00	25.00
5	10×8 से छोटा 15×12	13,750.00	1,250.00	50.00
6	15×2 से छोटा 20×15	27,500.00	2,500.00	100.00
7	कपड़े के बैनर	–	100.00	–
8	कागज का छोटा पोस्टर	–	50.00	–
9	लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार	–	–	100.00

12–साइन बोर्ड का आकार 20×15'' से बड़ा नहीं होगा। कपड़े के बैनर की चौड़ाई 2.5 फुट (ढाई फुट) से अधिक नहीं होगी और वह सड़क के तल से 15 फुट की ऊंचाई से कम पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

13–अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा किसी स्वीकृत आज्ञा को आपात स्थिति में जनहित में रद्द कर दें, काट दें या रोक दें। ऐसे में शुल्क का यथोचित भाग उसके द्वारा वापिस किया जायेगा।

14–पालिका सीमा के भीतर अनाधिकृत विज्ञापन लगा होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से मूल्य जोखिम और खर्चे पर हटा दें और इस प्रकार का किया गया व्यय वह नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उस व्यक्ति या फर्म से वसूल कर लिया जायेगा, जिसके लिये या जिनका विज्ञापन करने के लिये वह लगाया गया था। यदि विज्ञापन हटाये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर न छुड़ाया जाय तो अधिशासी अधिकारी सम्बन्धित लोगों को सात दिन की सूचना देकर ऐसे विज्ञापनों को नीलाम कर सकेगा।

15–यदि कोई व्यक्ति अनुज्ञा को समय समाप्त हो जाने के उपरान्त भी विज्ञापन लगाये रहता है और कोई सूचना भी नहीं देता है तो वह व्यक्ति इस अवधि का शुल्क (विज्ञापन) भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

16–उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क निम्न पर देय नहीं होगा–

(I) ऐसे विज्ञापन जो सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लगवाये जायेंगे।

(II) ऐसा साइन बोर्ड जो सम्बन्धित दुकान, भवन में होने वाले व्यवसाय की सूचना हो या दुकान की नाम पट्टिका का हो।

(III) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक विज्ञापन।

(IV) ऐसे विज्ञापन जिन्हें बोर्ड द्वारा छूट प्रदान की गई हो।

(V) ऐसे विज्ञापन जो चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अपने चुनाव हेतु लगाये जायें।

17–उपरोक्त प्रकार के (निःशुल्क) विज्ञापन लगाने से पूर्व अधिशासी अधिकारी को सूचना देना आवश्यक होगा।

18–अधिशासी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर को की जा सकती है।

19–इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति/व्यक्तियों, कम्पनी, फर्म के मालिक, प्रबन्धक, एजेन्ट या कारिन्दे आदि जिसकी ओर से कोई विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया गया हो, दोषी समझा जायेगा। इसके साथ-साथ वह भी व्यक्ति जो ऐसे विज्ञापन को चिपकाने के कार्य में प्रयोग किया गया हो, दोषी माना जायेगा।

शास्ति (दण्ड)

नगरपालिका अधिनियम की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपविधि के किसी नियम का उल्लंघन करने पर अंकन रुपये 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक अर्थदण्ड दिया जा सकेगा। यदि वह उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम, दोषसिद्ध होने के दिनांक से रुपये 25.00 प्रतिदिन तक अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है।

शबनम नाज,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, शेरकोट,
बिजनौर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सक्षम बिल्डर्स, 4, सुभाषपुरा, ललितपुर, जिला ललितपुर वर्तमान में पंजीकृत है, जिसके साझेदारों का विवरण निम्न है–

1–श्री प्रदीप खैरा

2–श्रीमती ममता खैरा

3–श्री शरद खैरा

4–श्री यादवेन्द्र सिंह

जिसमें श्री शरद खैरा एवं यादवेन्द्र सिंह, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा नये साझेदार सक्षम खैरा फर्म में शामिल हो गये हैं।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जा रहा है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

प्रदीप खैरा,
साझेदार मेसर्स-सक्षम बिल्डर्स,
4, सुभाषपुरा, ललितपुर (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कैलाश ट्रेडर्स, 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर से श्रीमती नन्दनी मालपानी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सेवा निवृत्ति ले ली है। अब फर्म में कैलाश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रेखा गुप्ता ही भागीदार रह गये हैं।

कैलाश चन्द गुप्ता
भागीदार-कैलाश ट्रेडर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कैलाश आटोमोबाइल्स 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर से भागीदार श्रीमती नन्दनी मालपानी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सेवा निवृत्ति ले ली है। अब फर्म में कैलाश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रेखा गुप्ता ही भागीदार रह गये हैं।

कैलाश चन्द गुप्ता
भागीदार-कैलाश आटोमोबाइल्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कामर्शियल इन्सटालमेंट, 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर से श्रीमती नन्दनी मालपानी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सेवा निवृत्ति ले ली है। अब फर्म में कैलाश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रेखा गुप्ता ही भागीदार रह गये हैं।

कैलाश चन्द गुप्ता
भागीदार-कामर्शियल इन्सटालमेंट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कामर्शियल बाडी बिल्डर्स 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर से भागीदार श्रीमती नन्दनी मालपानी ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 से सेवा निवृत्ति ले ली है। अब फर्म में कैलाश चन्द गुप्ता एवं श्रीमती रेखा गुप्ता ही भागीदार रह गये हैं।

कैलाश चन्द गुप्ता
भागीदार-कामर्शियल बाडी बिल्डर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स साहू इण्टर प्राइजेज, 280-ए, विनोबा नगर, गांधी ग्राम, कानपुर के फर्म साझीदार श्री नरेन्द्र कुमार साहू की मृत्यु के कारण पुर्नगठित हो गयी है, जिसमें श्री अंकित साहू व श्री हर्ष साहू साझीदार हो गये हैं। यदि किसी को आपत्ति हो तो 15 दिन के अन्दर कारण के साक्ष्य सहित सूचित करें।

पार्टनर-अंकित साहू
मेसर्स-साहू इण्टरप्राइजेज,
280-ए, विनोबा नगर,
गांधी ग्राम कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 कामर्शियल मोटर्स 84/105, जी0टी0 रोड, कानपुर के भागीदार श्री विनीत चन्द्रा, डा0 ईश्वर चन्द्रा, श्री मानिक चन्द्रा, श्रीमती शकुन चन्द्रा एवं श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता ने 01 नवम्बर, 2015 से स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से सेवा निवृत्ति ले ली है तथा 01 नवम्बर, 2015 से ही नये भागीदार श्री शिवम् गुप्ता, श्री शुभम् गुप्ता एवं मेसर्स कामर्शियल मोटर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फर्म में भागीदारी ग्रहण कर ली है। अब फर्म में श्रीमती सरिता गुप्ता, श्री शिवम् गुप्ता, श्री शुभम् गुप्ता एवं मेसर्स

कामर्शियल मोटर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ही भागीदार रह गये हैं।

सरिता गुप्ता
भागीदार-कामर्शियल मोटर्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अम्बे लोहा भण्डार, पता भीटी रावत, सहजनवा, जनपद गोरखपुर में साझेदारी डीड दिनांक 01 जुलाई, 2017 को सहायक निबन्धक फण्ड सोसाइटीज एवं चिट्स, जनपद गोरखपुर के वहां तीन पार्टनर क्रमशः श्री अनिल कुमार चाचान पुत्र श्री किशोर चन्द्र चाचान, 406 जेड पश्चिमी बशारतपुर, जनपद गोरखपुर-273004, श्री नीतेश कुमार चाचान पुत्र श्री किशोर चन्द्र चाचान, 406 जेड पश्चिमी बशारतपुर, जनपद गोरखपुर-273004, श्री प्रतीक कुमार चाचान पुत्र श्री किशोर चन्द्र चाचान, 406 जेड हरिहरपुरम्, पश्चिम बशारतपुर, जनपद गोरखपुर-273004 रजिस्ट्रेशन संख्या जी-5041 पर पंजीकृत है परन्तु फर्म के द्वितीय साझेदार श्री नीतेश कुमार चाचान पुत्र श्री किशोर चन्द्र चाचान, 406 जेड पश्चिमी बशारतपुर, जनपद गोरखपुर-273004 फर्म से अलग हो चुके है। अब वर्तमान में फर्म में दो पार्टनर मौजूद है।

अनिल कुमार चाचान,
साझेदार,
मेसर्स अम्बे लोहा भण्डार,
पता–भीटी रावत सहजनवा,
जनपद गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हुसैन नेचुरल्स 2 पुरानी पसरट, झांसी, जिला झांसी-284002 उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–मोहम्मद रहीस, 2–मोहम्मद अहसन

जिसमें दिनांक 05 जुलाई 2020 को श्री मोहम्मद अहसन का निधन हो गया एवं उनके जगह चांदनी शामिल हो रही हैं एवं फर्म का पता परिवर्तित होकर 79, चोधरयाना, झांसी, जिला झांसी-284002 हो गया है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया है।

मोहम्मद रहीस,
साझेदार मेसर्स हुसैन नेचुरल्स,
2 पुरानी पसरट, झांसी,
जिला-झांसी, उ0प्र0-284002,
नया पता–79, चोधरयाना, झांसी,
जिला झांसी-284002।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भगवती सिग्नेचर आराजी नं0 477, मौजा बिजोली, तहसील एवं जिला झांसी, उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–संदेश चंद्र गुप्ता, 2–रामनाथ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड।

जिसमें दिनांक 09 जनवरी, 2016 को रामनाथ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रथक् हो रही है और उनके स्थान पर भगवती इन्फ्राबिल्डर प्राइवेट लिमिटेड शामिल हो रही है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

संदेश चंद्र गुप्ता,
साझेदार मेसर्स भगवती सिग्नेचर,
आराजी नं0 477, मौजा बिजोली,
तहसील एवं जिला झांसी, उ0प्र0।

सूचना

मैंने अपना नाम मंजू से बदलकर मंजू राजवंशी कर लिया है। भविष्य में मुझे मंजू राजवंशी के नाम से जाना व पहचाना जाये। मंजू राजवंशी पुत्री स्व0 रामसरन एवं पत्नी श्री प्रमोद कुमार राजवंशी, निवासिनी-ए-1055, एच0ए0एल0 कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

मंजू।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नागेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा, निवासी ए-ब्लाक, 1049, राजेन्द्र नगर, बरेली (उ0प्र0) पिनकोड–243122 था, मैंने अपना नाम परिवर्तन करके/नाम बदलकर मन्नू शर्मा पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा कर लिया है और आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 से भविष्य में मुझे मन्नू शर्मा पुत्र जय प्रकाश शर्मा नाम से ही जाना व पहचाना जाये तथा आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 से भविष्य में मैं समस्त प्रकार के विधिक, व्यापारिक व अन्य सभी कार्यों को मन्नू शर्मा पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा नाम से ही करूंगा।

मन्नू शर्मा,
पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा,
निवासी ए-ब्लाक, 1049, राजेन्द्र नगर,
बरेली (उ0प्र0) पिनकोड-243122।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स विजय एसोसिएट्स, बी-21, मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर का रजि0 दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को सहायक रजि0 फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में श्री विजय भाटिया व श्री ललित पोपली व श्री राजेश भाटिया व श्रीमती सुचिता भाटिया व श्रीमती नैनसी भाटिया व श्रीमती लवली पोपली पार्टनर थे। दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को संशोधित डीड के अनुसार फर्म से श्री ललित पोपली व श्रीमती लवली पोपली रिटायर हो गये हैं। इस प्रकार अब फर्म में श्री विजय भाटिया व श्री राजेश भाटिया व श्रीमती सुचिता भाटिया व श्रीमती नैनसी भाटिया पार्टनर रह गये हैं।

विजय भाटिया,
पुत्र श्री मदन लाल भाटिया,
निवासी बी-21, मिशन कम्पाउण्ड,
सहारनपुर (पार्टनर)।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स S.B. Singh & Sons. 274/A5th lane Nishat Ganj, Lucknow की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है, जिसमें चार साझेदार Mr. Sant Baksh Singh, Mrz. Anoop Kumar Yadav, Mrs. Mithilesh Singh, Mr. Aayush Singh थे, जिसमें दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 से फर्म के प्रथम एवं तृतीय साझेदार Mr. Sant Baksh Singh एवं Mrs. Mithilesh Singh के नाम में संशोधन होकर आधार कार्ड के आधार पर Mr. Sant Bux Singh एवं Mrs. Mithlesh Singh किया जा रहा है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
अनूप कुमार यादव,
साझेदार मेसर्स S.B. Singh & Sons,
जिला-लखनऊ।

सूचना

मेरे जीवन बीमा पालिसी नम्बर 313930186 में धवलखना देवी अंकित है जबकि सही नाम धवलरानी है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है मुझे धवलरानी के नाम से जाना जाये। धवलरानी पत्नी बालराज बिन्द देवधूईमा रामनगर, धारिका, जौनपुर।

धवलरानी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 भगीरथी एच0पी0, रानीडीहा, गोरखपुर देवरिया रोड, गोरखपुर नामक फर्म में साझेदारी डीड, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 से श्री कृष्ण मुरारी तिवारी एवं श्री पवन कुमार पाण्डेय साझेदार थे। उक्त फर्म पंजीकरण सं0-जीओआर/0002396 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म साझेदारी विघटन डीड दिनांक 24 नवम्बर, 2020 से उक्त फर्म को विघटित कर दिया गया है, किसी का कोई लेन-देना बकाया नहीं है।

पवन कुमार पाण्डेय।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एलग्रो बिल्डर्स एण्ड डबलपर्स, पहासू हाउस, सिविल लाइन, अलीगढ़ के पूर्व चतुर्थ पक्ष श्री शाहब अहमद पुत्र श्री मुस्ताक अहमद सिद्दकी उम्र 42 वर्ष द्वारा मे0 यूनिर्वसल इण्टर प्राईजेज, 36, जगत नारायण रोड, गोला गंज, लखनऊ, दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से

उपरोक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में मो0 मोनिस खान, श्री सिवगत उल्लाह, श्री रौनक अली खान, श्री इबारतउल्लाह खान व श्रीमती निखत निहाल ही भागीदार रह गये हैं।

इबरत उल्लाह खान,
भागीदार,
मेसर्स एलग्रो बिल्डर्स एण्ड डबलपर्स,
पहासू हाउस, सिविल लाइन, अलीगढ़।

सूचना

सूचित किया जाता है भागीदारी फर्म मेसर्स रविराज गैस डिस्ट्रीब्यूटर, 20ए, ओल्ड ईदगाह कालोनी, आगरा में श्री हरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी 65बी, बैंक कालोनी, गीता इन्कलेव, कृष्णा नगर, मथुरा-281004 व श्री पंकज पाठक पुत्र श्री मुनेन्द्र बाबू पाठक, निवासी राजा राम पट्टी धौली प्याऊ, मथुरा दिनांक 01 जून, 2020 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, अब उक्त फर्म में श्री रविन्द्र सिंह सिरोही, श्रीमती राज सिरोही, श्री हरेन्द्र शर्मा व श्री पंकज पाठक भागीदार हो गये हैं।

रविन्द्र सिंह सिरोही।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स माँ विन्दवासिनी इंडस्ट्रीज, प्लाट संख्या डी-1/3सी, सेक्टर 13 गीडा, गोरखपुर में क्रमशः रोहित अग्रवाल, सरोज अग्रवाल व कल्पना तिवारी कुल तीन साझेदार रहे हैं। साझेदार कल्पना तिवारी पत्नी श्री राजेश तिवारी, निवासी 367ए बशाररतपुर, शहर गोरखपुर, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से स्वेच्छा से हट गयी हैं। उनके हिस्से का हक उन्हें बचे हुए दोनों साझेदारों ने अदा किया गया। शेष बचे साझेदार रोहित अग्रवाल व सरोज अग्रवाल द्वारा आगे साझेदारी में व्यापार का संचालन किया जायेगा।

रोहित अग्रवाल।

सूचना

विज्ञप्ति संख्या 298/20, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020 के क्रम में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 तक केवल सात ही मनोनयन पत्र पार्ट 'ए' कोटि में प्राप्त हुये जिनमें से तीन के द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने के कारण केवल चार ही मनोनयन-पत्र बचे जिसके नाम एवं पते नीचे दर्शाये जा रहे हैं। जिसे मैंने जांचा और सही पाया।

1—डा0 सुधीर कपूर	3/304, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2—डा0 रागिनी टंडन	53 नेपियर रोड कालोनी, पार्ट-2, ठाकुरगंज, लखनऊ।
3—डा0 हर्शुल शर्मा	46, एल्डिको ग्रीन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4—डा0 सुनील चन्द्र वर्मा	डी-19, इन्दिरानगर, लखनऊ।

अतः मैं डा0 पवित्र रस्तोगी, निर्वाचन अधिकारी एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ उपरोक्त दर्शाये गये नामों को उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल, लखनऊ की कोटि 'ए' की सदस्यता के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं। पार्ट 'बी' कोटि से सम्बन्धित कोई भी मनोनयन-पत्र जमा नहीं हुये।

डा0 पवित्र कुमार रस्तोगी,
निर्वाचन अधिकारी एवं अध्यक्ष,
उ0प्र0 डेन्टल कौंसिल,
5, सर्वपल्ली माल एवेन्यू रोड,
लखनऊ।

सूचना

मैं, निलेन्द्र पाण्डेय साझीदार फर्म मेसर्स क्रिस्टल कन्स्ट्रक्शन्स, पता-57, सृजन विहार, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ के विधान में परिवर्तन सम्बन्धी सूचना देता हूं। उक्त में फर्म के पार्टनर श्री राकेश कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 चंद्रमा प्रसाद उपाध्याय, निवासी सी-1/66, विक्रांत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ साझीदारी से दिनांक 13 मार्च, 2020 को हट गये हैं। इनके स्थान पर नये पार्टनर श्री शैलेन्द्र नाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 ए0के0 पाण्डेय, निवासी सावित्री, निवास आर्यनगर नॉर्थ ऑपोजिट तरंग थिएटर, गोरखपुर को दिनांक 13 मार्च, 2020 को सम्मिलित किया गया है एवं साझीदार पार्टनर श्री राहुल वीर सिंह, रोहित वीर सिंह पुत्रगण श्री अजय वीर सिंह तथा सचिन यादव पुत्र वीरपाल सिंह, दिनांक 13 मार्च, 2020 से साझीदार से अलग हो गये हैं। अतः आज दिनांक 13 मार्च, 2020 से इन साझीदारों का फर्म से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

साझीदार,
निलेन्द्र पाण्डेय,
क्रिस्टल कन्स्ट्रकशन।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 वीआरडी एक्सपोर्टस, 32, सूर्या नगर, आगरा परिवर्तित पता-ए-6, ईपीआईपी, यूपीएसआईडीसी, सिकन्दरा, आगरा के विधान में हुये परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–फर्म में श्री वात्सल गुवलानी पुत्र श्री धीरज कुमार गुवलानी, निवासी 32, सूर्या नगर, आगरा, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से नये भागीदार तृतीय पक्ष के रूप में सम्मिलित हुये और फर्म से पूर्व द्वितीय पक्ष कु0 मुस्कान गुवलानी पुत्री श्री धीरज गुवलानी, निवासी 32, सूर्या नगर, आगरा, दिनांक 01 नवम्बर, 2020 से उक्त फर्म से अलग हो गये हैं। वर्तमान में फर्म में श्री धीरज गुवलानी व श्री वात्सल गुवलानी ही भागीदार रह गये हैं।

धीरज कुमार गुवलानी।

सूचना

एतद्द्वारा मैं घोषणा करती हूं कि रूपा देवी और डा0 रूपा पुत्री रामसेवक, निवासी–ग्राम सिड़हिर नरसिंहपुर, पोस्ट–सिड़हिर, (बारून), जिला–अयोध्या (फैजाबाद), यू0पी0, पिनकोड-224127 एक ही व्यक्ति हैं। मैंने रूपा देवी से अपना नाम बदल कर डा0 रूपा कर लिया है। सभी उद्देश्यों के लिये।

डा0 रूपा।

NOTICE

I, Roopa Devi D/o Ramsevak Resident of Vill–Sirhir Narsinghpur, Post Office–Sirhir (Barun), Ayodhya (Faizabad, U.P.)-224127 have changed my Name from Roopa Devi to Dr. Roopa for all purposes.

Dr. ROOPA

पी0एस0यू0पी0–39 हिन्दी गजट–भाग 8–2020 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।